

1. समझौता: ये नियम एवं शर्तें, प्रतिज्ञा कार्ड और मुख्य तथ्य विवरण (, ऋण समझौता एक साथ) कंपनी और उधारकर्ता के बीच कंपनी द्वारा उधारकर्ता को दिए गए ऋण के संबंध में समझौता बनाते हैं। नियम एवं शर्तों या मंजूरी पत्र और मुख्य तथ्य विवरण के बीच किसी भी असंगतता की स्थिति में, मुख्य तथ्य वितरण की शर्तें संदर्भ की आवश्यकता के अनुसार प्रभावी होंगी। नियम लिए जो मुख्य तथ्य विवरण और प्रतिज्ञा कार्ड में निर्दिष्ट हैं ("ऋण")।
(बी) ऋण का वितरण: कंपनी प्रतिज्ञा कार्ड में निर्दिष्ट राशि के लिए ऋण स्वीकृत करेगी। स्वीकृत ऋण उधारकर्ता को कंपनी को प्रदान किए गए बैंक खाते में वितरित किया जाएगा। (सी) अंतिम उपयोग: उधारकर्ता प्रतिनिधित्व करता है और गारंटी देता है कि ऋण केवल विशिष्ट अंतिम उपयोग के उद्देश्य के लिए होगा। उधारकर्ता पुष्टि करता है कि ऋण का उपयोग किसी भी गैरकानूनी या गैरकानूनी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।
3. संपाश्विक का जमा और भंडारण: उधारकर्ता ऋण प्राप्त करने के लिए कंपनी के पास संपाश्विक जमा करेगा और कंपनी मुख्य एवं शर्तों और प्लेज कार्ड के बीच टकराव की स्थिति में, संदर्भ की आवश्यकता के अनुसार, प्लेज कार्ड मान्य होगा।
2. (ए) ऋण: उधारकर्ता पुष्टि करता है कि उसने कंपनी द्वारा पेश किए गए विभिन्न स्वर्ण ऋण उत्पादों को ध्यान से पढ़ा और समझा है, कंपनी से सभी प्रासंगिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं और ऐसी सभी जानकारी का गहन मूल्यांकन करने के बाद, ऋण लेने का विकल्प चुना है। सोने की गिरवी के विरुद्ध जेवर ("संपाश्विक"), ऐसे कार्यकाल और अन्य विवरणों के तथ्य विवरण और प्रतिज्ञा कार्ड में निर्दिष्ट ऋण अवधि के दौरान संपाश्विक को सुरक्षित भंडारण में संग्रहीत करेगी।
4. संपाश्विक प्रतिज्ञा: उधारकर्ता इसके द्वारा ऋण, ब्याज और अन्य सभी लागतों और शुल्कों या उससे उत्पन्न होने वाले शुल्कों के पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में कंपनी के साथ संपाश्विक प्रतिज्ञा करता है।
5. मांग पर पुनर्भुगतान: कंपनी बिना कोई कारण बताए अपने विवेक से किसी भी समय ऋण को वापस लेने/रद्द करने की हकदार है और उसके बाद सभी ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ ऋण तुरंत कंपनी को देय हो जाएगा।
6. त्वरित पुनर्भुगतान: यदि किसी भी समय, कंपनी की राय है कि: (ए) संपाश्विक का बाजार मूल्य गिर गया है, या (बी) कि संपाश्विक का पूरा या कुछ हिस्सा प्रतिनिधित्व वजन या शुद्धता का नहीं है, या (सी) कि कोई है को दोष संपाश्विक के लिए उधारकर्ता का शीर्षक, कंपनी उधारकर्ता की एकमात्र लागत और व्यय पर, आंतरिक रूप से या विशेषज्ञों द्वारा संपाश्विक की शुद्धता और वजन का पुनर्मूल्यांकन कर सकती है। संपाश्विक के मूल्य या शीर्षक में किसी भी विसंगति की स्थिति में, और उसके बावजूद भी कोई प्रमाण पत्र कंपनी द्वारा जारी किए गए संपाश्विक की शुद्धता और वजन के आधार पर, कंपनी अपने विवेक पर, या तो: (X) उधारकर्ता को अतिरिक्त सोना गिरवी रखकर कमी को पूरा करने का अवसर प्रदान कर सकती है। जेवर, या जैसा भी मामला हो, गिरवी रखे गए आभूषणों का मालिकाना हक वापस कर दें, या (वाई) उधारकर्ता से ब्याज और उस पर अन्य सभी शुल्कों सहित ऋण को तुरंत चुकाने की मांग करें।
7. पूर्वभुगतान: उधारकर्ता किसी भी समय ऋण (या उसके हिस्से) का पूर्व भुगतान कर सकता है, लेकिन पूर्व-भुगतान शुल्क यदि कोई हो, के अधीन है। बशर्ते कि क्लिंग-ऑफ अवधि के दौरान (मुख्य तथ्य विवरण के तहत दर्शाया गया है) उधारकर्ता बिना किसी पूर्व-भुगतान शुल्क के ऋण का पूर्व-भुगतान करने का हकदार होगा।
8. मुख्य तथ्य पत्र में निर्दिष्ट ऋण की अवधि या कंपनी द्वारा नोटिस से पहले समाप्त होने की स्थिति में, समझौता समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, उधारकर्ता शेष देय राशि की किस्तों में ऋण का भुगतान करने के लाभ का हकदार नहीं होगा, जो पहले से ही बकाया राशि के साथ तुरंत देय होगी।
9. भुगतान अन्य शुल्क: उधारकर्ता को मूलधन और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान के अलावा, सभी बकाया राशि का भुगतान भी करना होगा, जिसमें प्रतिज्ञा कार्ड और मुख्य तथ्य विवरण में बताए गए सभी लागू कर और अन्य शुल्क शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
10. संपाश्विक और स्वामित्व का मूल्यांकन: (i) ऋण की मात्रा संपाश्विक की शुद्धता और मूल्यांकन पर निर्भर है और कंपनी पर लागू प्रासंगिक कानूनों, विनियमों और निर्देशों (लागू कानूनों) के अनुसार निर्धारित की गई है। संपाश्विक के मूल्य का निर्धारण करते समय संपाश्विक में रत्नों को ध्यान में नहीं रखा जाता है और कंपनी संपाश्विक में जड़े किसी भी रत्न के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, (ii) उधारकर्ता प्रतिनिधित्व करता है और आश्वासन देता है कि संपाश्विक पूर्ण, एकमात्र है और उधारकर्ता की भार रहित संपत्ति और वह, किसी भी तरह से, सुरक्षा के रूप में कंपनी के पास संपाश्विक गिरवी रखने से प्रतिबंधित नहीं है। मैं प्रतिज्ञा के अलावा कृपादृष्टि कंपनी की ओर से, ऋण की अवधि के दौरान, उधारकर्ता संपाश्विक पर किसी भी प्रकार का सुरक्षा हित नहीं बनाने का वचन देता है, (iii) उधारकर्ता अधिकृत करता है कंपनी संपाश्विक के मूल्य और स्वामित्व का पता लगाने के लिए ऐसी कार्यवाई करेगी जो कंपनी उचित समझे। उधारकर्ता इस संबंध में कंपनी द्वारा अनुरोध की गई सभी जानकारी और सहयोग प्रदान करेगा, (iii) उधारकर्ता स्वीकार करता है कि संपाश्विक गिरवी रखने के समय कंपनी द्वारा संपाश्विक की शुद्धता और वजन का आकलन केवल आधारित है ऋण देते समय किए गए प्रारंभिक सत्यापन पर और यह कंपनी पर अंतिम और बाध्यकारी नहीं है,
(iv) कंपनी द्वारा किया गया कोई भी सत्यापन उधारकर्ता की किसी भी देनदारी को समाप्त या कम नहीं करेगा।
11. उधारकर्ता द्वारा सूचना का प्रावधान: उधारकर्ता गारंटी देता है कि उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी सत्य और सटीक है। उधारकर्ता कंपनी को प्रदान की गई जानकारी में किसी भी बदलाव या अद्यतन की उचित सूचना देगा।
12. नीलामी: (i) उधारकर्ता द्वारा किसी भी भुगतान में चूक की स्थिति में, कंपनी लागू कानून के अनुसार, सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से संपाश्विक को बेचने या अन्यथा निपटान करने की हकदार होगी। नीलामी। प्रस्तावित नीलामी की एक लिखित

सूचना, नीलामी की जाने वाली संपाश्विक वस्तुओं के विवरण, नीलामी की तारीख, समय और स्थान और नीलामी के लिए संपाश्विक की आरक्षित कीमत के विवरण के साथ उधारकर्ता को दी जाएगी। नीलामी से संबंधित सभी लागत और खर्च उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।

13. नीलामी आय: नीलामी से शुद्ध आय होगी उपयोग किया गया कंपनी द्वारा ऋण के संबंध में सभी अवैतनिक मूलधन, ब्याज, डिफॉल्ट ब्याज और नीलामी के संचालन से संबंधित सहित अन्य लागतों और शुल्कों की वसूली की जाएगी। नीलामी की शुद्ध आय होगी उपयोग किया गया निम्नलिखित क्रम में: (i) की ओर इसका भुगतान ऋण से संबंधित डिफॉल्ट ब्याज, लागत, शुल्क और व्यय, (ii) ऋण पर देय ब्याज की ओर (iii) ऋण की अवैतनिक मूल राशि की ओर। अधिशेष राशि, यदि कोई हो, पहले कंपनी द्वारा किसी भी खाते पर उधारकर्ता की कंपनी के प्रति किसी भी अन्य देयता (चाहे पूरी तरह से या अन्य के साथ संयुक्त रूप से बकाया हो) के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। इसके बाद, नीलामी पूरी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर किसी भी अधिशेष को उधारकर्ता को वापस कर दिया जाएगा। यदि नीलामी की आय उधारकर्ता द्वारा कंपनी पर बकाया कुल राशि से कम है, तो उधारकर्ता ऐसी कमी के पुनर्भुगतान के लिए जिम्मेदार रहेगा और कंपनी ऐसी कमी की वसूली के लिए उधारकर्ता के खिलाफ ऐसी कानूनी कार्रवाई कर सकती है जैसा वह समझे उपयुक्त।
14. संपाश्विक की रिहाई: खंड 3 और 14 के अधीन, कंपनी की संतुष्टि के अनुसार कंपनी के प्रति उधारकर्ता की सभी देनदारियों का निर्वहन करने पर, कंपनी मूल प्रतिज्ञा कार्ड की प्रस्तुति और ऐसी औपचारिकताओं को पूरा करने पर उधारकर्ता को संपाश्विक जारी करेगी जैसा कि आवश्यक हो सकता है। कंपनी। कंपनी अपने विवेक पर, उधारकर्ता द्वारा कंपनी को ऐसी क्षतिपूर्ति प्रदान करने, ऐसी औपचारिकताओं को पूरा करने और कंपनी की आवश्यकता के अनुसार ऐसे शुल्क का भुगतान करने पर, ऐसे मामलों में उधारकर्ता को संपाश्विक जारी कर सकती है जहां उधारकर्ता मूल प्लेजकार्ड का उत्पादन करने में असमर्थ है। संपाश्विक करेगा केवल ऋण लेने वाले उधारकर्ता को जारी किया जाएगा और केवल प्रतिज्ञा कार्ड में उल्लिखित उधारकर्ता के पते पर जारी किया जाएगा।
15. अन्य देनदारियों के लिए ग्रहणाधिकार: उधारकर्ता स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है कि कंपनी को कंपनी के प्रति उधारकर्ता की किसी भी अन्य देयता (चाहे पूरी तरह से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से बकाया हो) के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए संपाश्विक पर ग्रहणाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होगा, जो देय और देय है, जब तक कि ऐसा न हो। अन्य देनदारी भी पूरी तरह चुका दी गई है। इस तरह के ग्रहणाधिकार के प्रयोग की सूचना उधारकर्ता को पत्र, कूरियर सेवा, ईमेल, एसएमएस, टेलीफोन या संचार के किसी अन्य माध्यम से दी जाएगी।
16. सेट-ऑफ और प्रतिदावा: उधारकर्ता द्वारा किए गए सभी भुगतान बिना किसी कटौती, सेट-ऑफ या प्रतिदावे के किए जाएंगे।
17. बीमा: कंपनी अपनी अभिरक्षा में संपाश्विक के लिए पर्याप्त बीमा कवर प्रदान करेगी, जिसमें पारगमन में संपाश्विक भी शामिल है।
18. कंपनी का दायित्व: ऋण की अवधि के दौरान संपाश्विक के किसी भी नुकसान या क्षति की स्थिति में, कंपनी की देनदारी सीमित होगी: (i) हानि की स्थिति में, संपाश्विक के शुद्ध वजन की सीमा में उल्लेख किया गया है गिरवी कार्ड, कंपनी पर अब तक बकाया ऋण राशि और ब्याज और अन्य शुल्क घटाकर, या (ii) क्षति की स्थिति में, गिरवी रखे गए आभूषणों को हुए नुकसान की सीमा तक। यदि हानि/क्षति कंपनी के नियंत्रण से परे कारणों से होती है तो उधारकर्ता को केवल बीमा कवरेज की सीमा तक मुआवजा दिया जाएगा। जो उसी और केवल ऐसे दावे के लिए कंपनी द्वारा बीमा निपटान प्राप्त होने पर।
19. स्थानांतरण और असाइनमेंट: कंपनी उधारकर्ता की सहमति के बिना संपाश्विक सहित ऋण के अधिकार, शीर्षक और ब्याज को किसी भी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान या किसी अन्य वित्तीय संस्थान या तीसरे पक्ष को सौंप, हस्तांतरित या बेच सकती है। कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित उचित व्यवहार संहिता में दिए गए तरीके के अलावा, कंपनी उधारकर्ता से किसी अन्य व्यक्ति को या अपनी एक शाखा से दूसरी शाखा में ऋण खातों के किसी भी हस्तांतरण पर विचार नहीं करेगी - www.rupeekcapital.com
20. रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण: उधारकर्ता स्वीकार करता है कि कंपनी को ऋण के संबंध में जानकारी का खुलासा करना आवश्यक है, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी और उधारकर्ता का क्रेडिट स्कोर शामिल है, विभिन्न अधिकारियों और क्रेडिट सूचना कंपनियों जैसे सीआईबीआईएल, भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय खुफिया को इकाई, आदि। आगे यह समझा जाता है कि ऐसे विनियामक और वैधानिक प्राधिकरण हो सकते हैं उपयोग या उनके द्वारा उचित और आवश्यक समझे गए तरीके से जानकारी साझा करें। उधारकर्ता स्पष्ट रूप से अधिकृत करता है कंपनी को ऐसे खुलासे करने होंगे। उधारकर्ता यह भी पुष्टि करता है कि ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में किसी भी चूक के मामले में, कंपनी ने एक अयोग्य इस तरह से डिफॉल्टर के रूप में उधारकर्ता के नाम, विवरण और तस्वीर का खुलासा करने या प्रकाशित करने का अधिकार और के माध्यम से ऐसा माध्यम, जैसा कंपनी उचित समझे।
21. नोटिस: उधारकर्ता को सभी संचार का पता प्रतिज्ञा कार्ड में निर्दिष्ट किया जाएगा, जब तक कि अन्यथा उधारकर्ता द्वारा लिखित रूप में सूचित न किया जाए। कंपनी द्वारा ऐसे पते पर किया गया कोई भी संचार समझा जाएगा उधारकर्ता द्वारा प्राप्त और स्वीकार किया जाना चाहिए, जब तक कि कंपनी को लिखित रूप में अन्यथा सूचित न किया जाए। कंपनी पंजीकृत डाक, कूरियर, ई-मेल, एसएमएस या टेलीफोन संचार सहित संचार के किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकती है। कंपनी किसी तीसरे पक्ष के वेब या मोबाइल एप्लिकेशन की सेवाओं का भी उपयोग कर सकती है। कंपनी द्वारा ऐसे एप्लिकेशन के माध्यम से उधारकर्ता के साथ किए गए सभी संचार, जैसा भी मामला हो, उधारकर्ता के वेब/मोबाइल एप्लिकेशन पर पॉप-अप नोटिफिकेशन के प्रसारण पर प्राप्त किए गए माने जाएंगे। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि कंपनी लेन-देन और प्रचार सामग्री के संबंध में उधारकर्ता के साथ ई-मेल और टेलीफोन संचार पर संवाद कर सकती है और उधारकर्ता इसके लिए सहमति देता है। ऐसे सभी संचार लागू कानून के अनुसार होंगे। टेलीफोन पर उधारकर्ता के साथ सभी संचार को कंपनी द्वारा भविष्य में उपयोग के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है। उधारकर्ता कंपनी या उसके प्रतिनिधियों के साथ उनकी स्पष्ट सहमति के बिना किसी भी संचार को रिकॉर्ड नहीं करेगा।
22. करों: प्रशासन, ब्याज कर, सेवा कर, शुल्क (स्टॉप शुल्क सहित), बिक्री कर/वैट, स्टॉप शुल्क और किसी भी प्रकार के कर से

संबंधित सभी वर्तमान और भविष्य के शुल्क, जो सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लगाए जा सकते हैं। और (ए) ऋण के लिए आवेदन और अनुदान तथा पुनर्भुगतान के संबंध में अन्य सभी लागतें और व्यय; (बी) ब्याज और उस पर अन्य शुल्क सहित ऋण की वसूली और वसूली; (सी) सुरक्षा का प्रवर्तन; (डी) संपाश्विक के संबंध में सरकार के सभी करों और किसी भी अन्य शुल्क और लेवी के बकाया का भुगतान और (ई) संपाश्विक का बीमा उधारकर्ता के खाते में किया जाएगा।

23. शासकीय कानून और विवाद समाधान: यह ऋण समझौता भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा। इस समझौते के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, जिसमें इस समझौते की वैधता या समाप्ति से संबंधित कोई भी विवाद शामिल है, विवाद के ऑनलाइन समाधान केंद्र (सीओआरडी) द्वारा प्रशासित मध्यस्थता द्वारा निर्धारित किया जाएगा। www.resolveoncord.com मध्यस्थता शुरू करने की तिथि पर प्रचलित CORD के मध्यस्थता के नियमों के अनुसार। मध्यस्थता न्यायाधिकरण में एक एकमात्र मध्यस्थ शामिल होगा जिसे CORD द्वारा इसके नियमों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। मध्यस्थता का निर्णय अंतिम होगा। मध्यस्थता की सीट चेन्नई होगी। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।
24. उचित आचरण संहिता: की शर्तों के अनुपालन में यह ऋण स्वीकृत किया गया है "उचित आचरण कंपनी का कोड" कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ www.rupeekcapital.com। उचित व्यवहार संहिता के नियमों और शर्तों में बदलाव भी समय-समय पर वेबसाइट पर अधिसूचित किए जाएंगे और बाद में स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू होंगे।
25. त्रुटिपूर्ण भुगतान: एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को किया गया त्रुटिपूर्ण भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा पूरा वापस कर दिया जाएगा।
26. केवाईसी विवरण प्रदान करना और केवाईसी विवरण अद्यतन करना: उधारकर्ता को कंपनी या प्रीपेड कार्ड जारी करने वाले तीसरे पक्ष, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुरोध किए जाने पर केवाईसी दस्तावेज प्रदान करना होगा। उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे रुपये की ग्राहक सहायता टीम से संपर्क करके मदद से अपने नवीनतम केवाईसी विवरण अपडेट करें।
27. स्थानीय भाषा में घोषणा: ऋण समझौते की सामग्री और अन्य सभी दस्तावेजों को पढ़ा गया है और भाषा में अनुवादित किया गया है और उधारकर्ता को समझाया गया है और उधारकर्ता ने इसकी सामग्री को समझने के बाद इन उपहारों की सदस्यता ली है।

28. उधारकर्ता घोषणा:

- (i) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूं कि कोई भी और सभी दंडात्मक ब्याज उचित है का प्रतिनिधित्व करता है उधारकर्ता द्वारा भुगतान न करने और/या इस ऋण समझौते की शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में कंपनी को होने वाले नुकसान का वास्तविक पूर्व अनुमान।
- (ii) मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूं कि इस ऋण समझौते के तहत प्रदान किया गया ऋण वैध और पर्याप्त विचार के लिए किए गए एक वाणिज्यिक लेनदेन के लिए है।
- (iii) यह मेरे द्वारा स्वीकार किया गया है कि कंपनी द्वारा मुझसे देय बताई गई राशि, कंपनी द्वारा मुझसे देय होने का दावा की गई किसी भी राशि की सत्यता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण होगी और वह भी बिना किसी वाउचर, दस्तावेज प्रस्तुत किए। या अन्य कागजात चाहे उसके समर्थन में हों या अन्यथा और मैं इस बात से सहमत हूं कि मेरे द्वारा उस पर विवाद नहीं किया जाएगा।
- (iv) मुझसे बकाया वसूलने के कंपनी के अधिकार का प्रयोग या तो सीधे कंपनी द्वारा या कंपनी द्वारा अपने एजेंट या अपने किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किया जाएगा और मैं इसके लिए सहमत हूं। (v) मैं वचन देता हूं कि मोबाइल फोन नंबर विवरण में किए गए किसी भी बदलाव/अद्यतन/संशोधन के लिए कंपनी को विधिवत सूचित किया जाएगा।
- (vi) उधारकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, मैं/हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि नीचे उल्लिखित नामित व्यक्ति रुपये या ऐसे अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान के पास गिरवी रखे गए सोने के आभूषण प्राप्त करने का हकदार होगा, बशर्ते सभी बकाया राशि का भुगतान किया जाए। ब्याज इत्यादि और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को छोड़कर, मेरे/हमारे द्वारा किए गए किसी भी अन्य जमा की परवाह किए बिना, चाहे वसीयतनामा हो या अन्यथा, मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं और प्रतिज्ञा की वापसी पर इसकी पुष्टि करते हैं। मेरे नामांकित व्यक्ति, रुपये और किसी अन्य संबद्ध बैंकिंग कंपनी/वित्तीय संस्थान को दिया जाने वाला सोना मेरे/हमारे और/या मेरे/हमारे कानूनी उत्तराधिकारियों के प्रति किसी भी और सभी देनदारियों से मुक्त हो जाएगा।

नामांकित व्यक्ति का नाम:

नामांकित व्यक्ति का पता:

नामांकित व्यक्ति का फोन नंबर:

उधारकर्ता के साथ संबंध:

- (vii) यदि उपरोक्त नामांकित व्यक्ति गिरवी रखे गए सोने को वापस पाने के लिए उधारकर्ता की मृत्यु के 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर आगे नहीं आता है, तो रुपये उधारकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों को संयुक्त रूप से सोना जारी कर देगा, जब वे प्रस्तुत करेंगे। एक कानूनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या उधारकर्ता के साथ उनके संबंध को प्रमाणित करने वाला समान दस्तावेज।

उधारकर्ता का

हस्ताक्षर

स्थान:.....



रूपीक कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

व्यक्तिगत ऋण के लिए सामान्य नियम और शर्तें (नियम एवं शर्तें)

1. समझौता: ये नियम एवं शर्तें और ऋण दस्तावेज़ (एक साथ, ऋण समझौता) कंपनी और उधारकर्ता के बीच कंपनी द्वारा उधारकर्ता को दिए गए ऋण के संबंध में समझौता बनाते हैं। नियम एवं शर्तों और ऋण कार्ड के बीच किसी भी असंगतता की स्थिति में, ऋण कार्ड की शर्तें मान्य होंगी।
2. ऋण: उधारकर्ता पुष्टि करता है कि उसने कंपनी द्वारा पेश किए गए विभिन्न ऋण उत्पादों को ध्यान से पढ़ा और समझा है, कंपनी से सभी प्रासंगिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं और ऐसी सभी जानकारी का गहन मूल्यांकन करने के बाद, निर्दिष्ट ऋण का लाभ उठाने का विकल्प चुना है। ऋण दस्तावेज़ में, ऐसी स्थिति में जब कंपनी द्वारा पेश किए गए किसी भी उत्पाद को बंद कर दिया जाता है, तो उधारकर्ता या तो उसके बदले में कंपनी द्वारा पेश किए गए नए उत्पाद को अपना सकता है या सभी राशियों का पूर्व भुगतान कर सकता है और ऋण खाता बंद कर सकता है।
3. अंतिम उपयोग: उधारकर्ता प्रतिनिधित्व करता है और आश्वासन देता है कि किसी भी गैरकानूनी या अवैध उद्देश्य के लिए ऋण नहीं दिया जाएगा उपयोग किया गया।
4. ब्याज की गणना: बकाया राशि पर ब्याज की गणना साल के 365 दिनों के आधार पर की जाएगी और इस अवधि में ऋण की मंजूरी और ऋण बंद होने की तारीख शामिल होगी। ब्याज की गणना की जाएगी एक सरल पर मासिक आधार पर ब्याज।
5. ब्याज दर में संशोधन: कंपनी को किसी भी प्रासंगिक विचार को ध्यान में रखते हुए, अपने विवेक से किसी भी समय ऋण पर लगने वाली ब्याज दरों को संशोधित करने का अधिकार है। संशोधित ब्याज दरों को लागू करने से पहले उधारकर्ता को इसकी लिखित सूचना दी जाएगी। ऐसी स्थिति में जब संशोधित ब्याज दर उधारकर्ता को स्वीकार्य नहीं है, तो उधारकर्ता को संशोधित दरों की सूचना की तारीख से 2 (दो) सप्ताह के भीतर ऋण और उस पर देय सभी राशियों का भुगतान करना होगा।
6. चुकौती : पार्टियों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि कंपनी द्वारा उधारकर्ता से देय बताई गई राशि, इस समझौते के संबंध में उधारकर्ता से देय होने के लिए कंपनी द्वारा दावा की गई किसी भी राशि की सत्यता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण होगी। किसी भी वाउचर, दस्तावेज़ या अन्य कागजात के उत्पादन के बिना, चाहे उसके समर्थन में या अन्यथा, ऋणदाता की पुस्तकों से बनाया गया खाता विवरण और पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि उधारकर्ता द्वारा उस पर विवाद नहीं किया जाएगा। उधारकर्ता से बकाया वसूलने के कंपनी के अधिकार का प्रयोग या तो कंपनी या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा और उधारकर्ता इसके लिए सहमत है। किसी भी अन्य ऋणदाता/ऋणदाताओं के ऋण दस्तावेज़ों में किसी भी विपरीत बात के बावजूद, पुनर्भुगतान या पूर्व भुगतान की कोई भी आय पहले होगी उपयोग किया गया इस ऋण को बंद करने/समयपूर्व भुगतान करने की दिशा में।
7. मांग पर पुनर्भुगतान: कंपनी बिना कोई कारण बताए अपने विवेक से किसी भी समय ऋण वापस लेने/रद्द करने की हकदार है और उसके बाद सभी ब्याज और अन्य शुल्कों सहित ऋण तुरंत कंपनी को देय हो जाएगा।
8. त्वरित पुनर्भुगतान: यदि किसी भी समय, कंपनी की राय है कि ग्राहक द्वारा कंपनी को प्रदान की गई घोषणाओं/दस्तावेज़ों में गलत प्रतिनिधित्व/त्रुटि है, तो कंपनी अपने विवेक के आधार पर, उधारकर्ता से तुरंत ऋण चुकाने की मांग कर सकती है। , साथ में ब्याज और उस पर अन्य सभी शुल्क।

9. **पूर्वभुगतान:** ऋण दस्तावेज़ में निर्दिष्ट पूर्व-भुगतान शुल्क के अधीन, उधारकर्ता किसी भी समय ऋण (या उसके हिस्से) का पूर्व भुगतान कर सकता है।
10. **अन्य शुल्कों का भुगतान:** उधारकर्ता को, मूलधन और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान के अलावा, सभी बकाया राशि का भुगतान भी करना होगा, जिसमें निम्नलिखित के संबंध में सभी लागू कर और अन्य शुल्क शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: (i) ऋण का आवेदन और मंजूरी; (ii) ऋण का पुनर्भुगतान; और (iii) कंपनी या नियामक प्राधिकारियों को देय अन्य लागू शुल्क और कर, जैसा भी मामला हो। पूर्व-भुगतान की गई राशि का उपयोग सबसे पहले अतिदेय ब्याज, बैंक शुल्क, कानूनी खर्च, यदि कोई हो, को क्रेडिट करने के लिए किया जाएगा।
11. **उधारकर्ता द्वारा सूचना का प्रावधान:** उधारकर्ता गारंटी देता है कि उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी सत्य और सटीक है। उधारकर्ता कंपनी को प्रदान की गई जानकारी में किसी भी बदलाव या अद्यतन की उचित सूचना देगा।
12. **अन्य देनदारियों के लिए ग्रहणाधिकार:** उधारकर्ता स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है कि कंपनी के पास उधारकर्ता के किसी भी सुरक्षित ऋण में किसी भी संपार्श्विक पर ग्रहणाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार सुरक्षित है ताकि कंपनी के प्रति उधारकर्ता की किसी भी देनदारी का पुनर्भुगतान सुरक्षित किया जा सके (चाहे वह पूरी तरह से बकाया हो या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से बकाया हो), जो देय और देय है, जब तक कि ऐसी देनदारी पूरी तरह से तय नहीं हो जाती।
13. **स्थानांतरण एवं कार्यभार:** कंपनी ऋण के अपने अधिकार, शीर्षक और ब्याज को किसी भी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान या किसी अन्य वित्तीय संस्थान या तीसरे पक्ष को सौंप, हस्तांतरित या बेच सकती है। कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित उचित व्यवहार संहिता में दिए गए तरीके के अलावा, कंपनी उधारकर्ता से किसी अन्य व्यक्ति को या अपनी एक शाखा से दूसरी शाखा में ऋण खातों के किसी भी हस्तांतरण पर विचार नहीं करेगी - rupeekcapital.com.
14. **रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण:** उधारकर्ता स्वीकार करता है कि कंपनी को ऋण के संबंध में जानकारी का खुलासा करना आवश्यक है, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी और उधारकर्ता का क्रेडिट स्कोर शामिल है, विभिन्न अधिकारियों और क्रेडिट सूचना कंपनियों जैसे सीआईबीआईएल, भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय खुफिया इकाई को, आदि। आगे यह समझा जाता है कि ऐसे नियामक और वैधानिक प्राधिकरण हो सकते हैं उपयोग या उनके द्वारा उचित और आवश्यक समझे गए तरीके से जानकारी साझा करें। उधारकर्ता स्पष्ट रूप से अधिकृत करता है कंपनी को ऐसे खुलासे करने होंगे। उधारकर्ता आगे पुष्टि करता है कि ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में किसी भी डिफॉल्ट के मामले में, कंपनी के पास अयोग्य अधिकार है डिफॉल्टर के रूप में उधारकर्ता के नाम, विवरण और तस्वीर को ऐसे तरीके से और ऐसे माध्यम से प्रकट करना या प्रकाशित करना, जैसा कि लागू कानूनों के तहत अनुमति है।
15. **नोटिस:** उधारकर्ता को सभी संचार के लिए पता ऋण दस्तावेज़ में निर्दिष्ट किया जाएगा, जब तक कि उधारकर्ता द्वारा अन्यथा लिखित रूप में सूचित न किया जाए। कंपनी द्वारा ऐसे पते पर किया गया कोई भी संचार समझा जाएगा उधारकर्ता द्वारा प्राप्त और स्वीकार किया जाना चाहिए, जब तक कि कंपनी को लिखित रूप में अन्यथा सूचित न किया जाए। कंपनी पंजीकृत डाक, कूरियर, ई-मेल, एसएमएस या टेलीफोन संचार सहित संचार के किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकती है। कंपनी किसी तीसरे पक्ष के वेब या मोबाइल एप्लिकेशन की सेवाओं का भी उपयोग कर सकती है। कंपनी द्वारा ऐसे एप्लिकेशन के माध्यम से उधारकर्ता के साथ किए गए सभी संचार, जैसा भी मामला हो, उधारकर्ता के वेब/मोबाइल एप्लिकेशन पर पॉप-अप नोटिफिकेशन के प्रसारण पर प्राप्त किए गए माने जाएंगे। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि कंपनी लेन-देन और प्रचार सामग्री के संबंध में उधारकर्ता के साथ ई-मेल और टेलीफोन संचार पर संवाद कर सकती है और उधारकर्ता इसके लिए सहमति देता है। ऐसे सभी संचार लागू कानून के अनुसार होंगे। टेलीफोन पर उधारकर्ता के साथ सभी संचार को कंपनी द्वारा भविष्य में उपयोग के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है। उधारकर्ता कंपनी या उसके प्रतिनिधियों के साथ उनकी स्पष्ट सहमति के बिना किसी भी संचार को रिकॉर्ड नहीं करेगा।
16. **कर:** प्रशासन, ब्याज कर, माल और सेवा कर, शुल्क (स्टांप शुल्क सहित), बिक्री कर/वैट, स्टांप शुल्क और सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लगाए जाने वाले किसी भी प्रकार के कर से संबंधित सभी वर्तमान और भविष्य के शुल्क (ए) ऋण के लिए आवेदन और अनुदान तथा पुनर्भुगतान के संबंध में समय और अन्य सभी लागत और व्यय; (बी) ब्याज और उस पर अन्य शुल्क सहित ऋण की वसूली और वसूली।
17. **क्षतिपूर्ति :** उधारकर्ता कंपनी और उसके निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों और सलाहकारों को क्षतिपूर्ति देगा और उन्हें उधारकर्ता और/या के किसी भी कार्य, त्रुटियों या चूक के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान, दावों, देनदारियों या क्षति के खिलाफ हानिरहित रखेगा। इसके संबंधित कर्मचारियों, एजेंटों, या समनदेशितियों, या इस अनुबंध या इस अनुबंध के अनुसरण में निष्पादित किसी अन्य दस्तावेज़ से संबंधित अनुचित प्रदर्शन या गैर-प्रदर्शन के लिए
18. **शासी कानून और विवाद समाधान:** यह ऋण समझौता भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा। इस समझौते के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, जिसमें इस समझौते की वैधता या समाप्ति से संबंधित कोई भी विवाद शामिल है, विवाद के ऑनलाइन समाधान केंद्र (सीओआरडी) (www.resolveoncord.com) के अनुसार मध्यस्थता द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मध्यस्थता शुरू करने की तिथि पर प्रचलित CORD के मध्यस्थता के नियमों के साथ। मध्यस्थता न्यायाधिकरण में एक एकमात्र मध्यस्थ शामिल होगा जिसे CORD द्वारा इसके नियमों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। मध्यस्थता का निर्णय अंतिम होगा। मध्यस्थता की सीट चेन्नई होगी। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।
19. **शिकायतें:** किसी भी शिकायत, शिकायत, स्पष्टीकरण या प्रतिक्रिया की स्थिति में, आप शिकायत निवारण अधिकारी (मुख्य तथ्य विवरण के तहत दर्शाया गया है) care@rupeek.com या कंपनी से 080-68186888 पर संपर्क करें। कंपनी करेगी प्रयास 3 व्यावसायिक दिनों के भीतर आपके संचार का जवाब देने के लिए, ऐसा न करने पर उधारकर्ता अपनी शिकायतों, शिकायतों, स्पष्टीकरण या प्रतिक्रिया को RCPL_grievance@rupeek.com पर संबोधित कर सकता है।
20. **उचित आचरण संहिता:** यह ऋण कंपनी की वेबसाइट rupeekcapital.com पर प्रकाशित कंपनी की "उचित व्यवहार संहिता" की शर्तों के अनुपालन में स्वीकृत किया गया है। उचित व्यवहार संहिता के नियमों और शर्तों में बदलाव को समय-समय पर वेबसाइट पर भी अधिसूचित किया जाएगा। बाद में स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू होगा।

- 21. गलत भुगतान:** एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को किया गया त्रुटिपूर्ण भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा पूरा वापस कर दिया जाएगा।
- 22. केवाईसी विवरण अद्यतन करना:** उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे रुपेक की ग्राहक सहायता टीम से संपर्क करके मदद से अपने नवीनतम केवाईसी विवरण अपडेट करें।
- 23. स्थानीय भाषा घोषणा:** इस फॉर्म की सामग्री, नियम और शर्तें और अन्य सभी दस्तावेज़ों को पढ़ लिया गया है और _____ भाषा में अनुवादित किया गया है और उधारकर्ता को समझाया गया है और उन्होंने इसकी सामग्री को समझने के बाद इन उपहारों की सदस्यता ली है।

उधारकर्ता के हस्ताक्षरद्वारा :.....

रुपेक प्रतिनिधि चिन्ह:

तारीख:



अल्पावधि ऑन-डिमांड ऋण के लिए ऋण समझौता

अनुभाग I- परिचय रुपेक कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ("रूपीक") को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है और यह अन्य बातों के साथ-साथ गोल्ड लोन प्रदान करने, गोल्ड लोन का समर्थन करने और अल्पकालिक ऑन-डिमांड के व्यवसाय में लगी हुई है। ऋण.

अनुभाग II -नियम एवं शर्तों का पालन

इस ऋण समझौते ("अनुबंध") में Rupeek कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और प्राथमिक उधारकर्ता और सह-उधारकर्ताओं के बीच सहमत कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम और शर्तें शामिल हैं, जिनका विवरण नीचे अनुभाग III (उधारकर्ता/ओं का विवरण) में शामिल है। रूपिक से लिया गया ऋण, जिसका विवरण अनुभाग IV (प्राप्त ऋण का विवरण) में दिया गया है। इस समझौते को निष्पादित करके, प्राथमिक उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता इसके तहत निहित सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं और इनका पूरी तरह से पालन करने के लिए सहमत होते हैं।

अनुभाग III - उधारकर्ताओं का विवरण

इस खंड III में प्राथमिक उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता/ओं द्वारा रूपिक को प्रदान किए गए विवरण/दस्तावेज़ शामिल हैं और रूपिक द्वारा इसकी पुष्टि या पुष्टि नहीं की गई है। यह जानकारी और दस्तावेज़ीकरण रूपेक द्वारा सत्यापन के अधीन है, और प्राथमिक उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता स्वीकार करते हैं कि धारा IV (प्राप्त ऋण का विवरण) के संदर्भ में ऋण देना पूरी तरह से रूपेक का विवेक है और इस स्थिति में, रूपेक को कोई भी पता चलता है। यदि नीचे दिए गए विवरण गलत, झूठे या भ्रामक हैं, तो रूपिक इस समझौते को तुरंत समाप्त करने और बिना किसी सूचना के ऋण वापस लेने का हकदार होगा। समाप्ति पर, प्राथमिक उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता को तुरंत इस समझौते के अनुसार लागू ब्याज/दंडात्मक ब्याज के साथ रूपेक द्वारा दी गई ऋण राशि चुकानी होगी। यह किसी भी अन्य कानूनी कार्यवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है जिसे रूपिक कानून और इस समझौते के संदर्भ में लेने का हकदार हो सकता है।

01. प्राथमिक उधारकर्ता

नाम:

पता:

आधार नंबर:

पंजीकृत मोबाइल नंबर:

ईमेल आईडी :

02. सह-उधारकर्ता I

नाम:

पता:

आधार नंबर:

पंजीकृत मोबाइल नंबर:

ईमेल आईडी :

03. सह-उधारकर्ता II :

नाम:
 पता:
 आधार नंबर:
 पंजीकृत मोबाइल नंबर:.....
 ईमेल आईडी :.....

04. सह-उधारकर्ता I II:

नाम:
 पता:
 आधार नंबर:
 पंजीकृत मोबाइल नंबर:.....
 ईमेल आईडी :.....

05. सह-उधारकर्ता IV:

नाम:
 पता:
 आधार नंबर:
 पंजीकृत मोबाइल नंबर:.....
 ईमेल आईडी :.....

04. प्रत्येक उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़:

प्राथमिक उधारकर्ता : ☐ आधार कार्ड ☐ पैन कार्ड ☐ पिछला ऋण प्रतिज्ञा कार्ड
 सह-उधारकर्ता I : ☐ आधार कार्ड ☐ पैन कार्ड ☐ पिछला ऋण प्रतिज्ञा कार्ड
 सह-उधारकर्ता II : ☐ आधार कार्ड ☐ पैन कार्ड ☐ पिछला ऋण प्रतिज्ञा कार्ड
 सह-उधारकर्ता II I: ☐ आधार कार्ड ☐ पैन कार्ड ☐ पिछला ऋण प्रतिज्ञा कार्ड
 सह-उधारकर्ता IV: ☐ आधार कार्ड ☐ पैन कार्ड ☐ पिछला ऋण प्रतिज्ञा कार्ड

मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त जानकारी और हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ सत्य और सही हैं और हम स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि इस अनुबंध की समाप्ति या समाप्ति पर उपरोक्त दस्तावेज़ों/फोटोग्राफों की किसी भी फोटोकॉपी को वापस करने के लिए रूपेक की ओर से कोई दायित्व नहीं है। .

1. _____

सह उधारकर्ता

सह उधारकर्ता

प्राथमिक उधारकर्ता

3. _____

2. _____

सह उधारकर्ता

सह उधारकर्ता

4. _____

05. उधारकर्ता की मृत्यु की स्थिति में नामांकन

प्राथमिक उधारकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, मैं/हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि नीचे उल्लिखित नामांकित व्यक्ति ब्याज आदि सहित सभी बकाया राशि के भुगतान के अधीन, रूपिक या ऐसे अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान के पास गिरवी रखे गए सोने के आभूषण प्राप्त करने का हकदार होगा। और किसी भी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को छोड़कर, प्राथमिक उधारकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, भले ही मेरे/हमारे द्वारा कोई अन्य बयान दिया गया हो, चाहे वह वसीयतनामा हो या अन्यथा।

नामांकित व्यक्ति का नाम: _____

नामांकित व्यक्ति का पता: _____

नामांकित व्यक्ति का फ़ोन नंबर: _____

उधारकर्ता के साथ संबंध: _____

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं और पुष्टि करते हैं कि मेरे नामित व्यक्ति को गिरवी रखा गया सोना लौटाने पर, रूपिक और किसी भी अन्य संबद्ध बैंकिंग कंपनी/वित्तीय संस्थान को मेरे/हमारे और/या मेरे/हमारे कानूनी उत्तराधिकारियों के प्रति किसी भी और सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

1. _____
सह उधारकर्ता2. _____
सह उधारकर्ता

प्राथमिक उधारकर्ता

3. _____
सह उधारकर्ता4. _____
सह उधारकर्ता

यदि उपरोक्त नामित व्यक्ति प्राथमिक उधारकर्ता की मृत्यु से 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर गिरवी रखे गए सोने को पुनः प्राप्त करने के लिए आगे नहीं आता है, तो रुपिक प्राथमिक उधारकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों को संयुक्त रूप से सोना जारी कर देगा, जब वे एक प्रस्तुत करेंगे। कानूनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या प्राथमिक उधारकर्ता के साथ उनके संबंध को प्रमाणित करने वाला समान दस्तावेज़।

अनुभाग IV- प्राप्त ऋण का विवरण ("ऋण")

ऋण का प्रकार: रुपिक शॉर्ट टर्म ऑन-डिमांड ऋण ऋण राशि ("ऋण राशि"):

ऋण की अवधि ("अवधि"): इस समझौते के निष्पादन की तारीख से 1 महीना ऋण समापन तिथि ("ऋण समापन तिथि"):

ब्याज दर: 24% प्रति वर्ष
दंडात्मक ब्याज दर: 12% प्रतिवर्ष।

ऋण का उद्देश्य: मौजूदा ऋणदाता के मौजूदा ऋण को बंद करना, मौजूदा ऋणदाता के पास गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों को जारी करना (जैसा कि धारा V में बताया गया है - मौजूदा ऋण का विवरण) और उसे रुपिक के पास गिरवी रखना।

○ A. बैंक खाते में स्थानांतरण

प्रेषण के लिए खाता विवरण _____
ऋण राशि की-

खाता नंबर: _____

खाता धारक का नाम: _____

बैंक एवं शाखा का नाम: _____

○ B. मौजूदा ऋणदाता के

○ पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण

मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त जानकारी और हमारे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सत्य और सही हैं। ऋण राशि के प्रेषण के उद्देश्य से प्रस्तुत खाता विवरण प्राथमिक उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता 1/ सह-उधारकर्ता 2/मौजूदा ऋणदाता का है। मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि उक्त खाते को किसी अन्य ऋण खाते से नहीं जोड़ा गया है या किसी इकाई द्वारा गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। मैं/हम एतद्वारा स्पष्ट रूप से रुपिक को मेरी ओर से, जैसा भी लागू हो, मौजूदा ऋण चुकाने के लिए अधिकृत करता हूँ।

1. _____

सह उधारकर्ता

2. _____

सह उधारकर्ता

प्राथमिक उधारकर्ता

3. _____

सह उधारकर्ता

4. _____

सह उधारकर्ता

अनुभाग V - मौजूदा ऋण/ऋणों का विवरण

क्र.सं.	मौजूदा ऋणदाता	जीएल.सं.	सकल वजन (ग्राम में)	शुद्ध वजन (ग्राम में)	शुद्धता (कैरेट में)	उधार लेने वाला	ऋण प्रारंभ तिथि
01.							
02.							
03.							
04.							
05.							

06.							
-----	--	--	--	--	--	--	--

1. _____

सह उधारकर्ता

2. _____

सह उधारकर्ता

प्राथमिक उधारकर्ता

3. _____

सह उधारकर्ता

4. _____

सह उधारकर्ता

5. सह उधारकर्ता**अनुभाग VI- ऋण के नियम एवं शर्तें****01. परिभाषाएँ और व्याख्या:**

1. बड़े अक्षरों में लिखे शब्दों का वही अर्थ होगा जो इस अनुबंध में ऐसे शब्दों को दिया गया है।
2. जब तक इस अनुबंध में कहीं और निर्दिष्ट न किया गया हो, इस अनुबंध के खंडों की व्याख्या निर्माण के नियमों का उपयोग करके निम्नानुसार की जाएगी:
 - A. "शामिल" शब्द का संदर्भ बिना किसी सीमा के समझा जाएगा;
 - B. इस अनुबंध के मुख्य भाग में परिभाषित किसी भी शब्द या वाक्यांश का वही अर्थ होगा जो इस अनुबंध में ऐसी परिभाषा में दिया गया है, जब तक कि इसके विपरीत स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया हो या इसके विपरीत स्पष्ट रूप से संदर्भ से प्रकट न हो;
 - C. जब इस अनुबंध में दिनों की कोई भी संख्या निर्धारित की जाती है, तो उसे विशेष रूप से पहले और अंतिम दिन सहित गिना जाएगा, जब तक कि अंतिम दिन किसी व्यावसायिक दिन पर नहीं पड़ता है, उस स्थिति में अंतिम दिन अगला सफल दिन होगा। वह एक व्यावसायिक दिन है;
 - D. लागू कानून या उसके किसी भी प्रावधान के संदर्भ में ऐसे किसी भी लागू कानून के संदर्भ शामिल होंगे, जिसमें इसकी तारीख के बाद, समय-समय पर संशोधन, पूरक या पुनः अधिनियमित किया जा सकता है, और वैधानिक प्रावधान के किसी भी संदर्भ में शामिल होगा उस प्रावधान के तहत समय-समय पर बनाया गया कोई अधीनस्थ कानून;
 - E. किसी भी दस्तावेज़ के संदर्भ में उस दस्तावेज़ में संशोधन या पूरक, या प्रतिस्थापन या नवीनीकरण शामिल है, लेकिन इस समझौते के उल्लंघन में किए गए किसी भी संशोधन, पूरक, प्रतिस्थापन या नवीनीकरण की उपेक्षा करना; और
 - F. "संशोधन" के संदर्भ में एक पूरक, संशोधन, नवप्रवर्तन, प्रतिस्थापन या पुनः अधिनियमन शामिल है और "संशोधन" को तदनुसार समझा जाना चाहिए।
 - G. जहां भी संदर्भ की आवश्यकता हो, प्राथमिक उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता को संयुक्त रूप से "उधारकर्ता" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।
 - H. जहां भी संदर्भ की आवश्यकता हो, रुपिक और उधारकर्ताओं को संयुक्त रूप से पार्टियों के रूप में और व्यक्तिगत रूप से पार्टियों के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

02. ऋण का प्रारंभिक अनुदान और उद्देश्य:

1. उधारकर्ता दर्शाते हैं कि उन्होंने किसी अन्य ऋणदाता ("मौजूदा ऋणदाता") से ऋण ("मौजूदा ऋण") प्राप्त किया है (जैसा कि खंड V में बताया गया है - मौजूदा ऋण का विवरण)। उधारकर्ता यह भी दर्शाते हैं कि उन्होंने मौजूदा ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में मौजूदा ऋणदाता के पास कुछ सोने के आभूषण (धारा V में पूरी तरह से वर्णित - मौजूदा ऋण का विवरण) गिरवी रखे हैं।
2. उधारकर्ता पुष्टि करते हैं कि वे मौजूदा ऋण को बंद करने और रुपिक से ऋण राशि का लाभ उठाकर और बाद में उसे रुपिक के पक्ष में गिरवी रखकर मौजूदा ऋणदाता से उक्त सोने के आभूषण जारी करने के इच्छुक हैं।
3. उधारकर्ता के अनुरोध के आधार पर और नीचे खंड III में सूचीबद्ध पूर्व-शर्तों की पूर्ति के आधार पर और आगे उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई घोषणाओं, अनुबंधों, उपक्रमों, अभ्यावेदन और वारंटी के आधार पर, रुपिक ने ऋण सुविधा का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की है। जैसा कि धारा IV (प्राप्त ऋण का विवरण) में निहित है, उधारकर्ता को नियम और शर्तों पर और इस समझौते में प्रदान किए गए तरीके से।
4. रुपिक इसके द्वारा मौजूदा ऋणदाता के मौजूदा ऋण को बंद करने और मौजूदा ऋणदाता के पास गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों (जैसा कि खंड V में विस्तृत है - मौजूदा ऋण का विवरण) को जारी करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए उधारकर्ता को ऋण देता है। ऋण लेने वाले को या मौजूदा ऋणदाता के साथ ऋण लेने वाले के खाते में ऋण राशि का भुगतान होने पर, जैसा भी मामला हो, उधारकर्ता तुरंत मौजूदा ऋण को बंद कर देगा और सोने के आभूषणों को मौजूदा ऋणदाता से मुक्त कर देगा। मौजूदा ऋण को बंद करने और मौजूदा ऋणदाता से आभूषण जारी करने के लिए उधारकर्ता के साथ रुपिक के एक प्रतिनिधि के आने पर उधारकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है। इसके बावजूद, मौजूदा ऋणदाता के साथ मौजूदा ऋण को बंद करने, सोने के आभूषणों को जारी करने और उसे रुपिक को सौंपने से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने का दायित्व हमेशा उधारकर्ता पर ही रहेगा।
5. उधारकर्ता इस बात से सहमत हैं कि कुछ मामलों में, ऋण राशि का संवितरण मौजूदा ऋणदाता के खाते में सीधे करने की आवश्यकता हो सकती है और ऐसे मामलों में, ऐसा संवितरण सभी के लिए सीधे उधारकर्ता को किए गए संवितरण के समान होगा। उद्देश्य, और यह कि केवल उधारकर्ता ही हर समय रुपिक को ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।

03. ऋण संवितरण की पूर्व शर्तें:

इस समझौते के अनुसार ऋण उपलब्ध कराने का रूपिक का दायित्व उधारकर्ता द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करने पर प्रभावी होगा:

1. इस अनुबंध के नियम और शर्तें उधारकर्ता द्वारा विधिवत निष्पादित करके बिना शर्त स्वीकार की गई होंगी;
2. प्रत्येक उधारकर्ता को लागू "अपने ग्राहक को जानें" नीति मानदंडों के अनुपालन के लिए रूपिक द्वारा आवश्यक धारा III (उधारकर्ताओं का विवरण) के खंड 5 में सूचीबद्ध सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां प्रदान करनी होंगी; और
3. अन्य पूर्व शर्तें, यदि कोई हों, जो इस अनुबंध में विशेष रूप से निर्धारित की गई हों।

04. दिलचस्पी:

1. धारा IV (प्राप्त ऋण का विवरण) में निर्दिष्ट दर पर ब्याज की गणना बकाया ऋण राशि पर वर्ष के 365 दिनों के आधार पर की जाएगी और ऐसी अवधि में ऋण की मंजूरी और ऋण बंद होने की तारीख शामिल होगी। . ब्याज मासिक आधार पर संयोजित किया जाएगा।
2. रूपिक अपने विवेक पर किसी भी समय धारा IV (प्राप्त ऋण का विवरण) में निर्दिष्ट ब्याज दर को संशोधित करने का हकदार होगा, बशर्ते कि उधारकर्ता को इस तरह के संशोधन की पूर्व लिखित सूचना प्रदान की जाए। यदि संशोधित दरें उधारकर्ताओं को स्वीकार्य नहीं हैं, तो उधारकर्ता रूपिक से नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 2 (दो) सप्ताह के भीतर ऋण राशि और उस पर देय सभी राशियां चुकाने का हकदार होगा। ऐसी संशोधित दरें. हालाँकि, यदि उधारकर्ता नोटिस प्राप्ति की तारीख से 10 (दस) दिनों के भीतर संशोधित दरों के साथ अपनी असहमति व्यक्त करने में विफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि उधारकर्ता ने संशोधित दरों पर सहमति दे दी है।

05. संपाश्विक प्रतिज्ञा:

जैसा कि ऊपर बताया गया है, आवश्यक दस्तावेज के साथ मौजूदा ऋणदाता से सोने के आभूषण जारी करने के तुरंत बाद, उधारकर्ता समझौते की शर्तों के अनुसार मूल्यांकन के लिए सोने के आभूषण रूपिक को सौंप देगा। सोने के प्रारंभिक मूल्यांकन पर, यदि रूपिक संतुष्ट है कि यह विपणन योग्य गुणवत्ता का है और मूल्य मूल रूप से उधारकर्ता द्वारा दर्शाया गया है, तो रूपिक को उधारकर्ता की आवश्यकता होगी और उधारकर्ता सोने में से कोई भी प्राप्त कर लेगा। रूपिक या किसी संबद्ध तृतीय-पक्ष बैंकिंग कंपनी/वित्तीय संस्थान द्वारा रूपिक के विवेक पर, रूपिक फिन्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा होस्ट और स्वामित्व वाली अपनी वेबसाइट/मोबाइल आधारित एप्लिकेशन "गोल्ड लोन ऐप - रूपिक" के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण।

1. उपरोक्त के बावजूद और जब तक उधारकर्ता/ओं द्वारा उपर्युक्त कार्यों में से एक पूरा नहीं किया जाता है, तब तक उधारकर्ता/अधिकार, स्वामित्व और सोने के आभूषणों में हित में पहली प्राथमिकता सुरक्षा हित की एक स्वचालित प्रतिज्ञा, असाइनमेंट और अनुदान (अधिक पूरी तरह से वर्णित है) धारा V - मौजूदा ऋण का विवरण), किसी भी बंधक, ग्रहणाधिकार, शुल्क, गिरवी, सुरक्षा ब्याज, दृष्टिबंधक, असाइनमेंट, एन्कम्ब्रेंस या किसी अन्य प्रतिबंध से मुक्त और स्पष्ट, रूपिक को सोने के गहने मिलने के बाद रूपिक के पक्ष में काम करेगा। जब तक रूपिक द्वारा सोने के आभूषणों की प्राप्ति की पावती जारी नहीं की जाती, तब तक उधारकर्ता यह दावा करने का हकदार नहीं होगा कि सोने के आभूषण रूपिक को सौंप दिए गए थे।
2. जिन सोने के आभूषणों के लिए रूपिक ने रसीद स्वीकार की है, उन्हें इस समझौते के प्रयोजनों के लिए "संपाश्विक" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।
3. इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता रूपिक या अन्य बैंकिंग कंपनी/वित्तीय के पक्ष में सोने के आभूषणों (धारा V में अधिक पूरी तरह से वर्णित - मौजूदा ऋण का विवरण) की प्रतिज्ञा को पूर्ण प्रभाव देने के लिए किसी भी और सभी अन्य दस्तावेजों को निष्पादित करने का वचन देता है। संस्था. इस तरह के दस्तावेज के निष्पादन के बावजूद, संपाश्विक की प्रतिज्ञा रूपिक को सौंपे जाने के समय से वैध और प्रभावी होगी।
4. रूपिक के निर्देशानुसार उधारकर्ता द्वारा रूपिक या किसी तीसरे पक्ष की बैंकिंग कंपनी/वित्तीय संस्थान के पास संपाश्विक गिरवी रखने और उपरोक्त उप-खंड 1 के अनुसार उधारकर्ता द्वारा लिए गए विशिष्ट ऋण पर लागू नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने पर, रूपिक और/या तीसरे पक्ष की बैंकिंग कंपनी/वित्तीय संस्थान की संतुष्टि के लिए, इस समझौते की शर्तें रूपिक पर लागू होती हैं।
अल्पकालिक ऑन-डिमांड ऋण उधारकर्ता पर लागू होना बंद हो जाएगा।
5. सोने के आभूषणों को पुनः प्राप्त करने में विफल रहने पर और रूपिक द्वारा ऋण राशि के वितरण के तुरंत बाद ऋण के लिए संपाश्विक के रूप में रूपिक के पास गिरवी रखने पर, रूपिक ऋण को वापस लेने और रद्द करने का हकदार होगा और उधारकर्ता पूरे ऋण को चुकाने के लिए बाध्य होगा। सभी ब्याज, दंडात्मक ब्याज और लागू अन्य शुल्कों सहित राशि तुरंत रूपिक को। उधारकर्ता इस बात से सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि आभूषणों को पुनः प्राप्त करने पर रूपिक के पास गिरवी रखने में विफलता भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात होगी। उधारकर्ता संपूर्ण ऋण राशि को सभी ब्याज, दंडात्मक ब्याज और लागू अन्य शुल्कों के साथ तुरंत रूपिक को चुकाने के लिए बाध्य होगा। उधारकर्ता इस बात से सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि आभूषणों को पुनः प्राप्त करने पर रूपिक के पास गिरवी रखने में विफलता भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात होगी।

6. उधारकर्ता प्रतिनिधित्व करते हैं और आश्वासन देते हैं कि मौजूदा ऋण को बंद करने और मौजूदा ऋणदाता द्वारा सोने के आभूषणों की गिरवी (अधिक पूरी तरह से अनुभाग V में वर्णित - मौजूदा ऋण का विवरण) को जारी करने पर, सोने के आभूषण पूर्ण, एकमात्र और भार रहित होंगे। उधारकर्ता/ओं की संपत्ति और उधारकर्ता किसी भी तरह से लागू कानून और/या किसी तीसरे पक्ष के साथ किसी अन्य समझौते या व्यवस्था के तहत उसे रूपिक के पास गिरवी रखने से प्रतिबंधित नहीं है।
7. उधारकर्ता स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि इस समझौते के अस्तित्व के दौरान, उधारकर्ता किसी भी प्रकार का सुरक्षा हित नहीं बनाएंगे, या सोने के आभूषणों पर कोई बोझ नहीं डालेंगे या स्वामित्व हस्तांतरित नहीं करेंगे (अधिक पूरी तरह से अनुभाग V में वर्णित है - मौजूदा ऋण का विवरण) किसी अन्य पक्ष के पक्ष में, जब तक कि रूपिक द्वारा स्पष्ट रूप से लिखित रूप में अधिकृत न किया गया हो।
8. उधारकर्ता इसके द्वारा रूपिक को ऐसी कार्यवाई करने के लिए अधिकृत करते हैं जो संपाश्विक के मूल्य और स्वामित्व का पता लगाने के लिए उचित समझी जा सकती है। उधारकर्ता इस उद्देश्य के लिए सभी जानकारी प्रदान करने और सभी आवश्यक सहयोग देने के लिए सहमत हैं।
9. उधारकर्ता इस बात से सहमत हैं कि ऋण राशि मूल रूप से मौजूदा ऋणदाता के संपाश्विक के मूल्यांकन और उस दस्तावेज़ के आधार पर तय की गई थी जो उधारकर्ता ने मौजूदा ऋणदाता के साथ उसी के संबंध में निष्पादित किया था। रूपिक को संपाश्विक सौंपे जाने पर, रूपिक लागू कानून और रूपिक की नीति के अनुसार संपाश्विक की शुद्धता और वजन का उचित मूल्यांकन करेगा। उधारकर्ता को सूचित कर दिया गया है और वह समझता है कि रूपिक आम तौर पर ऋण-से-मूल्य (एलटीवी) अनुपात 75% से अधिक नहीं रखता है। रूपिक के पास संपाश्विक के मूल्यांकन पर उस तरीके से पहुंचने का पूरा विवेक है जो वह उचित समझे और उधारकर्ता इस बात से सहमत हैं कि रूपिक का मूल्यांकन अंतिम है और उस पर विवाद नहीं किया जा सकता है।
10. इस तरह के मूल्यांकन पर, यदि रूपिक को पता चलता है कि (ए) संपाश्विक का पूरा या हिस्सा प्रतिनिधित्व शुद्धता या वजन का नहीं है; या (बी) संपाश्विक का बाजार मूल्य गिर गया है; (डी) उधारकर्ता ने संपाश्विक की वस्तुओं के संबंध में किसी भी तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था, या (ई) कि संपाश्विक का मूल्य रूपिक के अनुसार अपर्याप्त है, रूपिक अपने विवेक पर कर सकता है:
 - i. उधारकर्ता को बकाया ऋण राशि को ब्याज, दंडात्मक ब्याज और उस पर अन्य सभी शुल्कों के साथ 1 (एक) दिन के भीतर चुकाने की आवश्यकता है और उधारकर्ता के अनुपालन में विफल रहने पर, इस समझौते की शर्तों के अनुसार संपाश्विक की नीलामी करें। ; या
 - ii. रूपिक, उधारकर्ता/ओं को अतिरिक्त सोने के आभूषण गिरवी रखकर या कमी की सीमा तक ऋण राशि को 1 (एक) कार्य दिवस के भीतर चुकाने और उधारकर्ता के ऐसा करने में विफल रहने पर कमी को पूरा करने का अवसर प्रदान करें। उपरोक्त (i) का सहारा ले सकते हैं
11. इसके अतिरिक्त, रूपिक किसी भी समय और कितनी भी बार संपाश्विक का पुनर्मूल्यांकन करने का हकदार होगा, जैसा वह उचित समझे और उपरोक्त धारा के खंड V(9) के अनुसार कार्य करेगा और खंड V(10) के अनुसार कार्य करेगा। इस धारा के V(11), यदि ऐसा करना आवश्यक समझा जाए।
12. उधारकर्ता इस बात पर भी सहमत हैं कि दिए गए ऋण के लिए संपाश्विक की पर्याप्तता निर्धारित करने के उद्देश्य से, केवल सोने की सामग्री के आंतरिक मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा और कोई अन्य लागत तत्व नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, संपाश्विक के मूल्य का निर्धारण करते समय संपाश्विक के किसी भी रत्न को ध्यान में नहीं रखा जाता है और रूपिक संपाश्विक में जड़े किसी भी रत्न के किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। रूपिक द्वारा निकाला गया मूल्यांकन अंतिम होगा।
13. रूपिक के पक्ष में संपाश्विक की प्रतिज्ञा तब तक लागू रहेगी जब तक (ए) इस समझौते के संदर्भ में रूपिक की संतुष्टि के लिए उधारकर्ता द्वारा ब्याज, दंडात्मक ब्याज और अन्य सभी लागू शुल्कों के साथ पूरी ऋण राशि चुका दी जाती है; और (बी) किसी अन्य ऋण समझौते के तहत या अन्यथा उधारकर्ता द्वारा रूपिक को देय अन्य सभी देय राशि उधारकर्ता द्वारा रूपिक की पूर्ण संतुष्टि के लिए चुकाई जाती है।
14. इसके तहत बनाई गई संपाश्विक की प्रतिज्ञा किसी भी घटना या तरीके से उधारकर्ता की मृत्यु, विकलांगता या अक्षमता या संविधान में किसी भी बदलाव, परिसमापन, दिवालियापन, दिवालियापन, परिसमापन आदि के कारण समाप्त नहीं होगी। लागू।

06. पुनर्भुगतान के लिए जाँच करें:

1. ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिए, उधारकर्ताओं ने इस समझौते की धारा IV (प्राप्त ऋण का विवरण) के अनुसार ऋण राशि के लिए उनके खाते पर ऋण समाप्ति तिथि पर हस्ताक्षरित एक चेक रूपिक को सौंप दिया है। रूपिक इस चेक को उस तिथि पर जमा करने का हकदार होगा जिस दिन ऋण राशि देय होगी और इसके नियमों के अनुसार रूपिक को देय होगी।
2. उधारकर्ता इस बात से बिना शर्त सहमत हैं कि किसी भी कारण से ऋण वापस लेने/रद्द करने पर, रूपिक किसी भी समय, उधारकर्ता को बिना किसी सूचना के चेक जमा करने का हकदार होगा।
3. यदि रूपिक ने चेक जमा किए बिना ब्याज, दंडात्मक ब्याज और अन्य शुल्कों सहित संपूर्ण बकाया ऋण राशि वसूल कर ली है, तो अनुरोध किए जाने पर चेक को उसकी वैधता के भीतर उधारकर्ता को वापस सौंप दिया जाएगा या चेक एकत्र नहीं किए जाने पर रूपिक द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। इसकी वैधता अवधि के भीतर उधारकर्ता द्वारा।

07. ऋण का पुनर्भुगतान:

1. उधारकर्ता इसके द्वारा धारा IV (प्राप्त ऋण का विवरण) में निर्धारित ऋण समापन तिथि पर या उससे पहले रूपेक पर लागू ब्याज, दंडात्मक ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ संपूर्ण ऋण राशि चुकाने के लिए सहमत हैं।
2. इस अनुबंध में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, रूपिक बिना कोई कारण बताए अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक पर किसी भी समय ऋण को वापस लेने/रद्द करने का हकदार है। ऐसी स्थिति में, सभी ब्याज, दंडात्मक ब्याज और लागू अन्य शुल्कों के साथ ऋण राशि तुरंत रूपेक को देय हो जाएगी।

08. अन्य शुल्कों का भुगतान:

उधारकर्ता को ऋण राशि और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान के अलावा, सभी बकाया और शुल्कों को भी चुकाना होगा, जिसमें सभी लागू कर और अन्य शुल्क शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

09. प्रतिज्ञा जारी करना और संपार्श्विक की वापसी:

1. ऋण वापस लेने या रद्द करने की स्थिति में, इस धारा के खंड V(15) और खंड XIV के अधीन, रूपिक अपने पक्ष में बनाई गई प्रतिज्ञा को जारी करेगा और संपूर्ण बकाया ऋण राशि प्राप्त होने के बाद संपार्श्विक को उधारकर्ता को वापस कर देगा। ब्याज, दंडात्मक ब्याज और ऐसे पुनर्भुगतान की तिथि पर अर्जित अन्य सभी लागू शुल्कों के साथ।
2. संपार्श्विक केवल प्राथमिक उधारकर्ता को या उधारकर्ता को संयुक्त रूप से या प्राथमिक उधारकर्ता में से किसी की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में, जीवित उधारकर्ता को वापस किया जाएगा। सभी उधारकर्ताओं की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में, ब्याज सहित संपूर्ण बकाया ऋण राशि का पुनर्भुगतान प्राप्त होने पर, संपार्श्विक धारा III (उधारकर्ताओं का विवरण) के भाग 7 में उल्लिखित नामांकित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा। ऐसे पुनर्भुगतान की तिथि पर अर्जित दंडात्मक ब्याज और अन्य लागू शुल्क।

10. उधारकर्ता की घोषणाएँ:

- उधारकर्ता इस समझौते के नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन देते हैं, घोषणा करते हैं और सहमत होते हैं। विशेष रूप से, उधारकर्ता घोषणा करते हैं और सहमत होते हैं कि:
- A. उधारकर्ताओं ने इसमें शामिल सभी नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और यदि उधारकर्ता इसे पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, तो इस अनुबंध की सामग्री को उनकी स्थानीय भाषा में उनकी संतुष्टि के अनुसार पढ़ा और समझाया गया है। भाषा;
 - B. उधारकर्ता इस बात पर सहमति देते हैं और सहमत हैं कि रूपिक ऋण को किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान को सौंप/स्थानांतरित कर सकता है और ऐसी स्थिति में, वे ऐसे बैंक/वित्तीय संस्थान के नियमों और शर्तों से बंधे होंगे;
 - C. उधारकर्ता इन नियमों और शर्तों पर अपनी स्वतंत्र इच्छा से और बिना किसी दबाव या दबाव के हस्ताक्षर कर रहे हैं;
 - D. यदि लागू हो तो ऋण देना रूपेक और/या संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थानों के पूर्ण विवेक पर निर्भर है;
 - E. उधारकर्ता इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे रूपिक के पास गिरवी रखी गई या गिरवी रखी जाने वाली संपार्श्विक के सच्चे और असली मालिक हैं, कि रूपिक के पास संपार्श्विक गिरवी रखते समय, उनके पास इसे गिरवी रखने का पूरा अधिकार और अधिकार होगा और इसके लिए कोई पूर्व शर्त नहीं होगी। ग्रहणाधिकार, इस अनुबंध की धारा III (उधारकर्ताओं का विवरण) में उधारकर्ता द्वारा प्रदान किए गए सभी विवरण और दस्तावेज़ आज की तारीख में सत्य और सटीक हैं और उधारकर्ता को हर समय रूपिक प्रदान करना होगा सच्ची और सटीक जानकारी और दस्तावेज़ीकरण के साथ;
 - F. उधारकर्ता स्वीकार करते हैं कि कोई भी और सभी दंडात्मक ब्याज उचित है और उधारकर्ता द्वारा भुगतान न करने और/या इस समझौते की शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में रूपिक द्वारा किए गए नुकसान का वास्तविक पूर्व अनुमान दर्शाता है। ;
 - G. उधारकर्ता स्वीकार करते हैं कि इस समझौते के तहत दिया गया ऋण वैध और पर्याप्त विचार के लिए किया गया एक वाणिज्यिक लेनदेन है, और ब्याज वसूलने से संबंधित सूदखोरी या अन्य कानूनों के तहत उपलब्ध किसी भी बचाव को माफ कर देते हैं;
 - H. उधारकर्ता स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं कि ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता से देय बताई गई राशि, रूपेक द्वारा उधारकर्ता से देय होने का दावा की गई किसी भी राशि की सत्यता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण होगा और वह भी बिना किसी वाउचर के प्रस्तुत किए। , दस्तावेज़ या अन्य कागजात चाहे उसके समर्थन में हों या अन्यथा और पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि उधारकर्ता द्वारा उस पर विवाद नहीं किया जाएगा। उधारकर्ता स्वीकार करते हैं कि उधारकर्ता से बकाया वसूलने के रूपेक के अधिकार का प्रयोग सीधे रूपेक द्वारा या उसके एजेंटों या अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाएगा।
 - I. उधारकर्ता इस बात से सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि सभी उधारकर्ता संयुक्त रूप से और अलग-अलग ब्याज, दंडात्मक ब्याज और लागू अन्य शुल्कों सहित संपूर्ण बकाया ऋण राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी होंगे और इस समझौते के तहत अपने सभी दायित्वों को पूरा करेंगे।

11. उधारकर्ता/ओं द्वारा अनुबंध और वचन:

1. उधारकर्ता ऐसा कोई कार्य या चीज नहीं करेगा या स्वेच्छा से कष्ट नहीं उठाएगा या करने की अनुमति नहीं देगा जिससे इस समझौते के अनुसार लेनदेन करने का उनका अधिकार समाप्त हो जाए या जिससे ऋण राशि, ब्याज या दंडात्मक ब्याज का भुगतान बाधित या विलंबित हो।
2. उधारकर्ता हमेशा सभी मामलों में लागू कानून का अनुपालन करेगा।
3. उधारकर्ता इसके द्वारा किसी भी और सभी दस्तावेजों को निष्पादित करने और ऐसी अन्य चीजें करने का वचन देता है जो ऋण के संबंध में रूपिक द्वारा आवश्यक या अपेक्षित हो सकती हैं।
4. उधारकर्ता रूपिक को जब भी उचित समझे उनमें से प्रत्येक पर स्वतंत्र क्रेडिट और पृष्ठभूमि की जांच करने की अनुमति देगा।
5. उधारकर्ता द्वारा लिया गया शुल्क, गिरवी या गिरवी गिरवी रखे जाने के समय तक कायम रहेगी, जो रूपिक के अधिकारों या किसी समनुदेशिनी/हस्तांतरिनी बैंक या वित्तीय संस्थान के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है;
6. ऋण राशि का उपयोग केवल यहां ऊपर अनुभाग IV (प्राप्त ऋण का विवरण) में बताए गए उद्देश्यों के लिए करना। किसी भी स्थिति में ऋण राशि का उपयोग किसी भी गैरकानूनी / अवैध या अनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा, किसी भी रूप में सोने की आगे की खरीद के लिए, जिसमें प्राथमिक सोना, सोने की बलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयां शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।) और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयां, अन्य कीमती आभूषण और/या सट्टा गतिविधियों के लिए।
7. उधारकर्ता तुरंत और किसी भी स्थिति में, रूपिक से नोटिस प्राप्त होने के 2 (दो) दिनों के भीतर, उधारकर्ता की ऐसी संपत्तियों पर सुरक्षा बनाएगा, जैसा कि रूपिक को आवश्यकता हो सकती है, और जैसा कि रूपिक के विवेकाधिकार में निर्धारित किया गया है।
8. उधारकर्ता इसके द्वारा स्पष्ट रूप से सहमति देते हैं कि रूपिक अपनी हिरासत में रहते हुए और अपनी हिरासत से बाहर आते समय संपादित के लिए पर्याप्त बीमा कवर प्राप्त करेगा।

12. डिफॉल्ट की घटनाएँ:

1. निम्नलिखित में से किसी भी घटना के घटित होने पर डिफॉल्ट की घटना घटित होती है:
 - a. ऋणकर्ता/ओं द्वारा ऋण समाप्ति तिथि पर या रूपिक द्वारा मांगे जाने पर तुरंत संपूर्ण बकाया ऋण चुकाने में विफलता;
 - b. उधारकर्ता द्वारा देय तिथि पर किसी भी ईएमआई का भुगतान करने में विफलता, यदि लागू हो;
 - c. उधारकर्ता समय पर बकाया भुगतान करने में असमर्थ हैं/हैं या उसने लिखित में असमर्थता स्वीकार की है;
 - d. इस अनुबंध के तहत किसी भी उधारकर्ता द्वारा प्रदान किया गया कोई भी या सभी अभ्यावेदन और वारंटी असत्य, अपूर्ण, गलत या भ्रामक हैं;
 - e. इस अनुबंध में किसी भी अनुबंध या उपक्रम के किसी भी उधारकर्ता द्वारा उल्लंघन;
 - f. किसी भी उधारकर्ता के लिए इस अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व को पूरा करना गैरकानूनी या अवैध हो जाता है;
 - g. कोई भी उधारकर्ता इस अनुबंध में निर्धारित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए ऋण राशि का उपयोग करता है;
 - h. धोखाधड़ी/गलत बयानी या संपादित के स्वामित्व या मूल्यांकन को प्रभावित करने वाली कोई अन्य स्थिति।
 - i. यह अनुबंध अवैध, अमान्य, अप्रवर्तनीय या अन्यथा विफल हो जाता है या प्रभावी होना बंद हो जाता है या यदि इसे रूपिक की सहमति के बिना सौंपा या अन्यथा स्थानांतरित, संशोधित, समाप्त या रद्द कर दिया जाता है, तो इनमें से कोई भी कार्यवाई स्वीकार्य नहीं है;
 - j. कोई भी उधारकर्ता इस अनुबंध को अस्वीकार करता है;
 - k. उधारकर्ता की मृत्यु या स्थायी अक्षमता;
 - l. किसी भी उधारकर्ता के दिवालियापन के लिए कोई कार्यवाही शुरू की जाती है;
 - m. कोई भी घटना जो उधारकर्ता की ऋण राशि चुकाने या इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का सम्मान करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है; या
 - n. डिफॉल्ट की घटना किसी उधारकर्ता की ऋणग्रस्तता से संबंधित किसी अन्य समझौते के तहत होती है या यदि किसी अन्य ऋणदाता ने अपनी सहायता या उसके हिस्से को वितरित करने, बढ़ाने या रद्द करने या वापस लेने से इनकार कर दिया है।
2. डिफॉल्ट की किसी घटना के घटित होने पर, रूपिक इस अनुबंध या लागू कानून या अन्यथा के तहत प्राप्त किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्यवाई करने का हकदार होगा:
 - a. सभी प्रतिबद्धताओं को रद्द करें और/या उधारकर्ता को आगे के भुगतान को निलंबित/रद्द करें (यदि कोई हो); और/या
 - b. ब्याज, दंडात्मक ब्याज और अन्य लागू शुल्कों सहित संपूर्ण बकाया ऋण राशि को तुरंत देय और देय घोषित करें और कोई भी अतिरिक्त शर्तें निर्धारित करें जैसा कि रूपिक उचित समझे; और/या
 - c. ऐसी कोई भी कार्यवाई करें जो रूपिक अपने विवेक से इस अनुबंध के तहत उचित समझे और/या जो किसी भी लागू कानून या कानून के तहत अनुमति या उपलब्ध हो।
3. उधारकर्ता सहमत हैं कि रूपिक इस समझौते के अनुसार एक साथ कई पुनर्प्राप्ति विकल्पों का उपयोग करने का हकदार होगा, जिसमें पुनर्भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत करना और/या संपादित की नीलामी करना और/या क्रॉस-संपादितकरण के अपने अधिकारों का प्रयोग करना शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। यदि रूपिक ऋण राशि, ब्याज, दंडात्मक ब्याज और अन्य सभी लागू शुल्कों सहित उधारकर्ता द्वारा रूपिक को दी गई कुल बकाया देनदारी से अधिक राशि की वसूली करता है, तो रूपिक ऐसी अतिरिक्त राशि वापस कर देगा।

4. पार डिफॉल्ट: इस अनुबंध के तहत डिफॉल्ट की एक घटना उधारकर्ता और रुपिक के बीच किए गए प्रत्येक अन्य समझौते या ऋण दस्तावेजों के तहत डिफॉल्ट की एक घटना भी होगी और इसके विपरीत भी। स्पष्टता के लिए, किसी भी अन्य समझौते/ऋण दस्तावेजों की शर्तों के तहत उधारकर्ता द्वारा किए गए किसी भी डिफॉल्ट की स्थिति में, रुपिक इस खंड के उप-खंड (2) में बताए गए अनुसार कोई भी कार्रवाई करने का हकदार होगा। उधारकर्ता/ओं और रुपिक के बीच में।

13. संपाश्विक की नीलामी

1. रुपिक ने भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी नीलामी नीतियां और प्रक्रियाएं तैयार की हैं और इसे इसके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।
2. उधारकर्ता बिना शर्त इस बात से सहमत हैं कि यदि उधारकर्ता द्वारा निर्धारित ऋण समाप्ति तिथि पर या उससे पहले पूर्ण पुनर्भुगतान नहीं किया जाता है, तो ब्याज, दंडात्मक ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ बकाया ऋण राशि की वसूली के लिए रुपिक संपाश्विक की नीलामी करने का हकदार है। धारा IV (प्राप्त ऋण का विवरण) में या किसी भी कारण से ऋण वापस लेने/रद्द होने पर और उधारकर्ता की ओर से निर्धारित समय के भीतर पूर्ण पुनर्भुगतान करने में विफलता पर।
3. यहां मौजूद किसी भी बात के बावजूद, सोने की कीमत में उतार-चढ़ाव या किसी अन्य कारण से संपाश्विक के बाजार मूल्य में कमी की स्थिति में प्रक्रिया का पालन करते हुए, रुपिक किसी भी समय ऋण को वापस लेने और संपाश्विक की सार्वजनिक रूप से नीलामी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संपाश्विक की नीलामी के लिए इस समझौते में निर्धारित किया गया है।

4. नीलामी प्रक्रिया:

- A. एक बार जब ऋण राशि अतिदेय हो जाती है, तो रुपिक उधारकर्ताओं को अनुभाग III (उधारकर्ताओं का विवरण) में उल्लिखित पते और/या ईमेल पते पर लिखित नोटिस जारी करेगा या जैसा कि बाद में सूचित किया गया होगा, उनसे तुरंत भुगतान करने का अनुरोध किया जाएगा। ब्याज, दंडात्मक ब्याज और लागू अन्य शुल्कों के साथ अतिदेय ऋण राशि ("मांग सूचना")।
- B. यदि उधारकर्ता मांग नोटिस का पालन करने में विफल रहते हैं, तो रुपिक निर्धारित नीलामी तिथि ("नीलामी सूचना") से कम से कम 15 (पंद्रह) दिन पहले प्रस्तावित नीलामी के बारे में उधारकर्ताओं को सूचित करते हुए, पंजीकृत डाक से लिखित नोटिस जारी करेगा। रुपिक लागू कानून के अनुसार समाचार पत्र प्रकाशन जारी करेगा।
- C. रुपिक के पास गिरवी रखे गए अन्य सोने के आभूषणों के साथ संपाश्विक की सुविधाजनक लॉट में नीलामी की जा सकती है।

5. नीलामी आय:

- A. नीलामी से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग रुपिक द्वारा ऋण के संबंध में नीलामी के संचालन से संबंधित सभी अवैतनिक मूलधन, ब्याज, दंडात्मक ब्याज, अन्य लागतों और शुल्कों की वसूली और लागू करों के भुगतान के बाद किया जाएगा।
- B. नीलामी की शुद्ध आय का उपयोग निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा:
 - i. ऋण से संबंधित दंडात्मक ब्याज, लागत, शुल्क और व्यय के भुगतान के लिए;
 - ii. ऋण पर देय ब्याज के लिए; और
 - iii. ऋण की अवैतनिक मूल राशि की ओर।
- C. यदि नीलामी की आय से रुपिक पर बकाया राशि के अलावा कोई अधिशेष है, तो रुपिक उधारकर्ता/ओं के रुपिक के किसी भी अन्य दायित्व के विरुद्ध उसे समायोजित करने का हकदार होगा, चाहे संयुक्त रूप से या पूरी तरह से, किसी भी खाते पर बकाया हो। या उधारकर्ता को लिखित सूचना देने पर उधारकर्ता द्वारा देय अन्य देनदारियों की सीमा तक ऐसे अधिशेष पर ग्रहणाधिकार बनाए रखें। इसके बाद, रुपिक ऐसे अधिशेष को उधारकर्ता/ओं को वापस कर देगा।
- D. यदि नीलामी की आय उपरोक्त के संदर्भ में रुपिक की बकाया राशि को कवर नहीं करती है, तो रुपिक कमी की वसूली के लिए कानून के तहत और इस समझौते के संदर्भ में कोई भी और सभी कानूनी कार्रवाई करने का हकदार होगा।

14. अन्य देनदारियों के लिए क्रॉस-संपाश्विककरण और ग्रहणाधिकार

1. उधारकर्ता एतद्वारा बिना शर्त सहमत हैं और स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि संपाश्विक को किसी भी अन्य समझौते या ऋण दस्तावेजों के तहत संयुक्त रूप से या अलग-अलग उधारकर्ता द्वारा रुपिक के लिए बकाया किसी भी अन्य दायित्वों के लिए संपाश्विक माना जाएगा, चाहे वह पहले या बाद में दर्ज किया गया हो।
2. उधारकर्ता इस बात से सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि संपाश्विक को किसी अन्य समझौते या ऋण दस्तावेजों के तहत संयुक्त रूप से या अलग-अलग उधारकर्ता के परिवार के सदस्यों द्वारा रुपिक के लिए देय किसी भी अन्य दायित्वों के लिए संपाश्विक माना जाएगा, चाहे वह पहले या बाद में दर्ज किया गया हो। इस समझौते के लिए, इस खंड के प्रयोजन के लिए, "परिवार के सदस्यों" का अर्थ संबंधित उधारकर्ता के माता-पिता, पति/पत्नी और प्रमुख बच्चे/बच्चे होंगे।
3. ऐसी स्थिति में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, किसी भी कारण से क्रॉस-संपाश्विककरण संभव नहीं है, उधारकर्ता स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि रुपिक को उधारकर्ता के किसी भी अन्य दायित्व के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए संपाश्विक पर ग्रहणाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होगा। चाहे संयुक्त रूप से बकाया हो या अकेले, वह देय और देय है, जब तक कि ऐसी अन्य देनदारी भी पूरी तरह से तय नहीं हो जाती। ऐसे ग्रहणाधिकार के प्रयोग की विधिवत सूचना उधारकर्ता को लिखित रूप में दी जाएगी।

15. स्थानांतरण और कार्यभार:

उधारकर्ता इस बात पर सहमति देते हैं और सहमत हैं कि रुपिक ऋण के अपने अधिकार, शीर्षक और ब्याज, संपाश्विक सहित, यदि कोई हो, को किसी भी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान या किसी अन्य वित्तीय संस्थान या तीसरे को सौंप, हस्तांतरित या बेच सकता है। उधारकर्ता/कों को बिना सूचना दिए पार्टी। उधारकर्ता इस समझौते के तहत अपने अधिकारों या दायित्वों को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को सौंपने के हकदार नहीं हैं। रुपिक, रुपिक से किसी अन्य संस्था या रुपिक की दो शाखाओं के भीतर ऋण खातों के हस्तांतरण के किसी भी अनुरोध पर विचार करने के लिए भी बाध्य नहीं है।

16. रुपिक का दायित्व:

1. जबकि रुपिक के पास संपाश्विक का कब्जा है:
 - a. अवधि के दौरान संपाश्विक के किसी भी नुकसान की स्थिति में, जबकि संपाश्विक रुपिक की हिरासत में है, रुपिक का दायित्व जारी किए गए प्रतिज्ञा कार्ड में उल्लिखित संपाश्विक के शुद्ध वजन के मूल्य की सीमा तक सीमित होगा। संपाश्विक के मूल्यांकन के बाद रुपिक द्वारा उधारकर्ता, रुपिक पर बकाया ऋण राशि, ब्याज, दंडात्मक ब्याज और अन्य शुल्कों में कटौती के बाद;
 - b. संपाश्विक को किसी भी क्षति की स्थिति में, रुपिक का दायित्व संपाश्विक को हुए नुकसान की सीमा तक सीमित होगा, बशर्ते कि ऐसी देनदारी रुपिक द्वारा उधारकर्ता को जारी किए गए प्रतिज्ञा कार्ड में उल्लिखित संपाश्विक के कुल मूल्य से अधिक नहीं होगी। संपाश्विक के मूल्यांकन के बाद;
 - c. उधारकर्ता इस बात से सहमत हैं कि संपाश्विक के नुकसान की स्थिति में, रुपिक सोने के आभूषण/आभूषण की सटीक वस्तु को वापस करने या बदलने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि केवल उपरोक्त उप-खंड 1 के अनुसार उधारकर्ता को मुआवजा देता है;
3. जहां रुपिक के पास संपाश्विक संपत्ति है, यदि हानि या क्षति रुपिक के नियंत्रण से परे कारणों से होती है, तो उधारकर्ता को केवल बीमा कवरेज की सीमा तक ही मुआवजा दिया जाएगा और केवल बीमा निपटान रुपिक द्वारा प्राप्त होने पर ही किया जाएगा। ऐसे दावे के लिए।
4. इसमें शामिल किसी भी बात के बावजूद, जहां रुपिक के पास किसी भी कारण से संपाश्विक का कब्जा नहीं है, वहां रुपिक किसी भी कारण से संपाश्विक के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।
5. विशेष रूप से ऊपर दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, रुपिक किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुकसान, क्षति, लागत, खर्च या शुल्क के लिए उधारकर्ता या किसी तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, जो उधारकर्ता या किसी तीसरे पक्ष को भुगतना पड़ सकता है। किसी भी खाते पर।

17. रिपोर्टिंग और खुलासे:

6. उधारकर्ता इसके द्वारा रुपिक को उधारकर्ता/ओं और ऋण के संबंध में जानकारी का खुलासा करने की अनुमति देते हैं, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी और रुपिक के शाखा कार्यालयों, सहायक कंपनियों, सहयोगियों, विभिन्न प्राधिकरणों और सीआईबीआईएल, क्रिसिल जैसी क्रेडिट सूचना कंपनियों को क्रेडिट स्कोर शामिल है। , भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तीय खुफिया इकाई, केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री, सेवा प्रदाता, बैंक, वित्तीय संस्थान, सरकारी और नियामक प्राधिकरण या केवाईसी जानकारी सत्यापन, क्रेडिट जोखिम विश्लेषण के लिए तीसरे पक्ष या अन्य संबंधित उद्देश्य। आगे यह समझा जाता है कि ऐसे नियामक और वैधानिक अधिकारी जानकारी का उपयोग या साझा उस तरीके से कर सकते हैं जो उन्हें उचित और आवश्यक लगे, और रुपिक का ऐसे खुलासों पर कोई नियंत्रण नहीं है। उधारकर्ता स्पष्ट रूप से रुपिक को ऐसे खुलासे करने के लिए अधिकृत करते हैं। उधारकर्ता रुपयेक को किसी भी कारण से पुलिस या अदालत के समक्ष ऐसे विवरण प्रस्तुत करने के लिए भी सहमति देते हैं।
7. उधारकर्ता यह भी पुष्टि करते हैं कि ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में किसी भी चूक के मामले में, रुपिक के पास इस तरह से और उसके माध्यम से चूककर्ता के रूप में उधारकर्ता के नाम, विवरण और फोटो का खुलासा करने और/या प्रकाशित करने का अयोग्य अधिकार है। रुपिक जैसे माध्यम को उपयुक्त समझता है। रुपिक को संपूर्ण बकाया ऋण राशि की वसूली के उद्देश्य से रोड शो करने या खुली "मुनादी" (लाउड स्पीकर के माध्यम से घोषणाएं) करने के लिए भी अधिकृत किया गया है।

18. नोटिस:

1. उधारकर्ता/ओं को सभी संचार का पता धारा III (उधारकर्ताओं का विवरण) में निर्दिष्ट किया जाएगा, जब तक कि उधारकर्ता द्वारा इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार लिखित रूप में सूचित न किया जाए।
2. उधारकर्ता यह वचन देते हैं कि इस अनुबंध की तिथि के अनुसार, उपरोक्त धारा III (उधारकर्ताओं का विवरण) में निर्धारित रुपिक को प्रदान किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर और अन्य सभी संपर्क विवरण सत्य और सही हैं और रुपिक अधिसूचना भेजने के लिए अधिकृत है। उक्त पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर उधारकर्ताओं को ऋण या इस समझौते के संबंध में। उधारकर्ता इस बात से भी सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि यदि उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी या पते में कोई बदलाव होता है या किसी भी कारण से उक्त नंबरों या पते पर उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता है, तो उधारकर्ता तुरंत और किसी भी स्थिति में, ऐसे परिवर्तन के 1 (एक) दिन से पहले, रुपिक को इसकी लिखित सूचना दें और जैसा भी मामला हो, रुपिक को वैकल्पिक संपर्क नंबर/ईमेल या डाक पता प्रदान करें। रुपिक किसी भी नुकसान, क्षति या लागत के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उधारकर्ता की ओर से पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पते या डाक में किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत लिखित रूप में सूचित करने में उधारकर्ता की विफलता के कारण हो सकता है। पते।

रुपिक द्वारा पंजीकृत डाक, कूरियर या ई-मेल द्वारा ऐसे पते पर किए गए किसी भी संचार को उधारकर्ता द्वारा प्राप्त और स्वीकार किया गया माना जाएगा और सभी उद्देश्यों के लिए प्रभावी सूचना माना जाएगा। रुपिक एसएमएस, टेलीफोन संचार या रुपिक या तृतीय-पक्ष वेब या मोबाइल एप्लिकेशन की सेवाओं का भी उपयोग कर सकता है। रुपिक लेन-देन और प्रचार सामग्री और इसके लिए उधारकर्ता की सहमति के संबंध में उधारकर्ता/ओं से ईमेल/टेलीफोन संचार पर संवाद कर सकता है। टेलीफोन पर उधारकर्ता के साथ सभी संचार रुपिक द्वारा रिकॉर्ड किए जा सकते हैं।

उधारकर्ता द्वारा रुपिक के पंजीकृत कार्यालय के पते पर पंजीकृत डाक या कूरियर द्वारा किया गया कोई भी संचार सभी

उद्देश्यों के लिए प्रभावी सूचना माना जाएगा।

कर और लागत:

रूपिक द्वारा खर्च की गई सभी वर्तमान और भविष्य की लागत, स्टॉप शुल्क, कर, दंड, शुल्क, व्यय, कानूनी शुल्क, प्रवर्तन लागत उधारकर्ता द्वारा वहन की जाएगी और उसके खाते में जमा की जाएगी।

क्षतिपूर्ति:

उधारकर्ता रूपिक और उसके निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों और सलाहकारों को क्षतिपूर्ति देगा और उन्हें नुकसान, दावों, देनदारियों या क्षति के खिलाफ हानिरहित रखेगा, जो (i) उधारकर्ता के किसी भी कार्य, त्रुटियों या चूक के परिणामस्वरूप होता है। और/या, इसके संबंधित कर्मचारी, एजेंट या समनुदेशी; (ii) इस अनुबंध के तहत दायित्वों के प्रदर्शन में उधारकर्ता द्वारा लापरवाही, कदाचार या धोखाधड़ी; (iii) रूपिक द्वारा आवश्यक किसी भी दस्तावेज को निष्पादित करने में विफलता, (iv) उधारकर्ता के किसी भी प्रतिनिधित्व, वारंटी, अनुबंध और उपक्रमों का उल्लंघन, (v) संपार्श्विक की प्रतिज्ञा जो चोरी हो गई है या अन्यथा नहीं हुई है उधारकर्ता/ओं से संबंधित हैं; या (vi) इस अनुबंध या इस अनुबंध के अनुसरण में निष्पादित किसी अन्य दस्तावेज से संबंधित अनुचित प्रदर्शन या गैर-प्रदर्शन।

शिकायत निवारण तंत्र:

किसी भी शिकायत, शिकायत, स्पष्टीकरण या प्रतिक्रिया की स्थिति में, उधारकर्ता को सबसे पहले Care@rupeek.com पर लिखना होगा या 18004198000 पर रूपिक से संपर्क करना होगा। रूपिक 03 (तीन) व्यावसायिक दिनों के भीतर इस तरह के संचार का जवाब देने का प्रयास करेगा। ऐसा न करने पर उधारकर्ता को निवारण के लिए अपनी शिकायतों को Grievance@rupeek.com पर संबोधित करना होगा। जब तक उपरोक्त तंत्र समाप्त नहीं हो जाता, तब तक उधारकर्ता कोई कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं करेगा।

शासकीय कानून और विवाद समाधान:

यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार शासित और समझा जाएगा।

इस समझौते के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, जिसमें इससे संबंधित कोई भी विवाद शामिल है

इस समझौते की वैधता या समाप्ति को विवाद के ऑनलाइन समाधान केंद्र (सीओआरडी) (www.resolveoncord.com) द्वारा प्रशासित मध्यस्थता द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो कि शुरुआत की तारीख के अनुसार प्रचलित सीओआरडी के मध्यस्थता के नियमों के अनुसार होगा। मध्यस्थता करना। मध्यस्थता न्यायाधिकरण में एक एकमात्र मध्यस्थ शामिल होगा जिसे CORD द्वारा इसके नियमों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। मध्यस्थता का निर्णय अंतिम होगा। मध्यस्थता की सीट चेन्नई होगी। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

अभ्यावेदन और वारंटी:

प्रत्येक पक्ष संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से एक-दूसरे का प्रतिनिधित्व करता है और इस प्रकार आश्वासन देता है:

प्रत्येक पक्ष के पास इस अनुबंध को निष्पादित करने, वितरित करने और प्रदर्शन करने और इसमें प्रवेश करने और इस अनुबंध द्वारा अपेक्षित लेनदेन को पूरा करने की शक्ति और अधिकार है।

यह अनुबंध प्रत्येक पक्ष द्वारा विधिवत और वैध रूप से निष्पादित किया गया है और यहां निहित संबंधित शर्तों के अनुसार प्रत्येक पक्ष के खिलाफ लागू करने योग्य कानूनी रूप से वैध और बाध्यकारी दायित्वों का गठन करता है।

इस अनुबंध की वैधता, वैधता या प्रवर्तनीयता के लिए बिना किसी सीमा के लेनदेन, पंजीकरण या समान करों सहित कोई शुल्क या कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है (पहले से भुगतान किए गए पंजीकरण शुल्क के अलावा)। यह अनुबंध उचित कानूनी रूप में है और इसके तहत शामिल शर्तें किसी भी पार्टी या व्यक्ति की ओर से किसी भी आगे की कार्रवाई के बिना इसके कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से लागू और प्रभावी हैं।

प्रत्येक पार्टी सभी लागू कानूनों, कानूनों, दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों के अनुपालन के लिए ज़िम्मेदार होगी जो ऋण के अनुदान/प्राप्ति और इस समझौते ("लागू कानून") के तहत प्रत्येक पार्टी के संबंधित दायित्वों से संबंधित हैं।

लागू कानून के तहत निष्पादित और पूरा करने के लिए आवश्यक सभी कार्य और शर्तें पूरी कर ली गई हैं ताकि उधारकर्ता इस अनुबंध के तहत कानूनी रूप से प्रवेश कर सकें, संबंधित अधिकारों का उपयोग कर सकें और संबंधित दायित्वों को पूरा कर सकें।

- A. इस अनुबंध के तहत प्रत्येक पक्ष के अधिकारों और दायित्वों के संबंध में प्रत्येक पक्ष द्वारा उचित निष्पादन और वितरण और प्रदर्शन के लिए आवश्यक लागू कानून के तहत सभी अनुमोदन/छूटें विधिवत प्राप्त कर ली गई हैं और वैध और विद्यमान हैं।
- B. इस अनुबंध के तहत प्रत्येक पक्ष द्वारा निष्पादन, वितरण और प्रदर्शन: (i) किसी भी लागू कानून या अनुमोदन के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन या विरोध नहीं करेगा; या (बी) किसी भी अन्य नियम और शर्तों, पट्टे या साधन के साथ संघर्ष, उल्लंघन का परिणाम या डिफॉल्ट का गठन, जिसके लिए कोई भी पार्टी या उसकी संपत्तियां बाध्य हो सकती हैं।
- C. उधारकर्ता द्वारा किए गए सभी भुगतान बिना किसी कटौती, सेट-ऑफ या काउंटर क्लेम के किए जाएंगे।

19. मिश्रित:

- A. त्रुटिपूर्ण भुगतान - एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को किया गया त्रुटिपूर्ण भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा पूरा वापस कर दिया जाएगा।
- B. केवाईसी विवरण अपडेट करना - उधारकर्ता अपने नवीनतम केवाईसी दस्तावेजों और विवरणों को उपलब्ध केवाईसी नीति के अनुसार अपडेट करेंगे। www.rupeek.com।
- C. संपूर्ण नियम और शर्तें - उधारकर्ता द्वारा निष्पादित यह समझौता इसके विषय से संबंधित पक्षों के बीच संपूर्ण नियम और शर्तों का गठन करता है और पिछले सभी संचार, बातचीत, प्रतिबद्धताओं आदि का स्थान लेता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि रूपिक का उचित व्यवहार संहिता, केवाईसी नीति और अन्य सभी आंतरिक नियम, दिशानिर्देश और नीतियां इस समझौते का हिस्सा होंगी।
- D. पृथक्करणीयता - इस समझौते में निर्धारित प्रत्येक प्रावधान और प्रतिबंध अलग और विशिष्ट हैं और इन्हें ऐसे अन्य प्रतिबंधों से अलग समझा जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई प्रतिबंध शून्य या अप्रवर्तनीय पाया जाता है, तो ऐसा प्रतिबंध इसे वैध बनाने के लिए आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होगा। यदि इस अनुबंध के किसी भी प्रावधान को अमान्य या अप्रवर्तनीय माना जाता है, तो यह इस अनुबंध के शेष प्रावधानों को अमान्य नहीं करेगा।
- E. संचयी अधिकार - इस अनुबंध में प्रदान किए गए अधिकार, शक्तियां, विशेषाधिकार और उपचार संचयी हैं और कानून, इक्विटी या अन्यथा द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अधिकार, शक्तियों, विशेषाधिकारों या उपायों से अलग नहीं हैं। इस समझौते के तहत किसी भी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय का प्रयोग करने में विफलता या देरी किसी भी तरह से उसके प्रयोग को प्रभावित या प्रभावित नहीं करेगी या पूरी तरह या आंशिक रूप से छूट के रूप में काम नहीं करेगी। इस समझौते के तहत किसी भी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय का कोई भी एकल या आंशिक प्रयोग उसके किसी भी आगे या अन्य प्रयोग या किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय के प्रयोग को नहीं रोकेगा।
- F. समाप्ति - जब तक कि रूपिक द्वारा पहले समाप्त नहीं किया जाता है, यह समझौता इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग बकाया ऋण राशि, ब्याज और अन्य सभी बकाया देनदारियों के पुनर्भुगतान की तारीख से स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा और किसी भी अन्य समझौते के बीच लागू होगा। रूपिक और ऋणी/ओं का सम्पूर्ण रूप से रूपिक।
- G. आगे की कार्यवाहियां - पार्टियां ऐसे सभी आगे के कार्य, कार्य और अन्य चीजें करने, ऐसे सभी अतिरिक्त दस्तावेजों को निष्पादित करने और वितरित करने के लिए सहमत हैं जो इस समझौते की शर्तों को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, जिसमें पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी का कार्य निष्पादित करना भी शामिल है। जैसा भी मामला हो, रूपिक या रूपिक द्वारा नामित एक बैंकिंग कंपनी/वित्तीय संस्थान।

घोषणा

मैं/हम, प्राथमिक उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता पुष्टि करते हैं कि हमने पृष्ठ 1 से 12 तक विस्तृत ऋण समझौते के सभी उपरोक्त नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और बिना शर्त उनसे बंधे होने के लिए सहमत हैं।

जगह: _____

तारीख: _____

1. _____

2. _____

प्राथमिक उधारकर्ता

3. _____

रूपिक कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के लिए

4. _____

5. _____

सह-उधारकर्ता

स्थानीय भाषा में घोषणा (यदि लागू हो) (प्राथमिक
उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता द्वारा)

मैं/हम एतद्वारा घोषणा और पुष्टि करते हैं कि:

श्री सुश्री श्रीमती। _____ ने मुझे इस ऋण समझौते के
नियमों और शर्तों को विस्तार से पढ़ा और समझाया है _____ (भाषा)। मैंने
ऋण दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगा दिया है, उसमें निहित नियमों और शर्तों को समझने और उनसे सहमत
होने के बाद। मैंने ऋण दस्तावेजों को अपनी स्वेच्छा से और बिना किसी अनुचित प्रभाव, दबाव, धोखाधड़ी या गलत बयानी के
निष्पादित किया है।

प्राथमिक उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता